



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012024-251307
CG-DL-E-12012024-251307

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 11, 2024/पौष 21, 1945

No. 29]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 11, 2024/PAUSHA 21, 1945

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2024

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) संशोधन विनियम, 2023

सं. पीएफआरडीए/16/05/112/0018/2020-आरइजी-पीओपी.--- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खंड (ड.), (ठ), (ड), (ण), (त) और (ब) के साथ पठित उसकी उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जाएगा।
- ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 जो कि समय-समय पर यथा संशोधित (इसके बाद 'मुख्य विनियम' के रूप में संदर्भित) है, उस में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:-

I. मुख्य विनियमों के विनियम 1 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 कहा जाएगा। ये विनियम अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा तथा सेवा करने हेतु उपस्थिति अस्तित्वों को विनियमित करने के लिए उनके पात्रता मानक तथा शासकीय मानक निर्धारित करते हैं।"

II. मुख्य विनियमों के विनियम 1 के उप-विनियम (3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(3) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2015 और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) विनियम, 2015 निरस्त हो जाएंगे। निरसन विनियमों के पिछले संचालन या उसके तहत विधिवत किए गए या किसी भी कार्य, या उसके तहत अर्जित, उपार्जित या उपगत किए गए किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या अनुपालन या किसी दंड, जब्ती या सजा के संबंध में किए गए या किए जाने योग्य कार्य को प्रभावित नहीं करेगा और विनियमन के तहत किसी भी उल्लंघन को और किसी भी कार्यवाही या उपाय को शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है, और कोई भी जुर्माना या सजा लगाई जा सकती है या बनाई जा सकती है जैसे कि विनियमन निरस्त नहीं किया गया था।"

III. मुख्य विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,

क. खंड (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(ख) "अंकेक्षक (ऑडिटर) " का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के तहत परिभाषित किया गया है और इसमें एक सिस्टम अंकेक्षक ऑडिटर भी शामिल है;"

ख. खंड (ग) हटा दिया जाएगा;

ग. खंड (घ) हटा दिया जाएगा;

घ. खंड (ज) हटा दिया जाएगा;

ड. खंड (झ) के बाद, एक नया खंड (ञ) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(ञ) " पेंशन अभिकर्ता" का अर्थ है अधिनियम के तहत शामिल पेंशन योजनाओं के वितरण की सुविधा के लिए उपस्थिति अस्तित्व द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत बैंकिंग अभिकर्ता (कारेस्पॉण्डेंट);
- (ii) भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत बीमा अभिकर्ता;
- (iii) भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन द्वारा पंजीकृत म्यूचुअल फंड वितरक; या
- (iv) प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्राप्त कोई अन्य व्यक्ति;"

IV. मुख्य विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (2) को हटा दिया जाएगा।

V. मुख्य विनियमों के विनियम 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

" 3. उपस्थिति अस्तित्वों (पीओपी) की श्रेणियाँ .- (1) कोई आवेदक निम्नलिखित पेंशन योजनाओं में से किसी एक या एक से अधिक योजनाओं के लिए उपस्थिति अस्तित्व के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है:

(क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली;

(ख) अटल पेंशन योजना; या

(ग) प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित कोई अन्य योजना।

परन्तु इन संशोधनों से पहले भौतिक या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल अपने कर्मचारियों और अन्य कर्मियों के लिए वितरण और सेवाओं हेतु पंजीकृत संस्थाएं, अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस लौटाएंगी, और

(क) प्राधिकरण द्वारा निर्देशित तरीके से पंजीकरण या प्राधिकार प्राप्त करेंगी अथवा ;

(ख) इस प्रकार निर्देशित समयावधि के भीतर अपने उन कर्मचारियों, जो अभिदाता हैं, के लिए उन्हें उपस्थिति अस्तित्व के साथ संबद्ध किया जाएगा।

परन्तु, इन संशोधनों से पहले एनपीएस-लाइट-स्वावलंबन योजना के तहत पंजीकृत संस्थाएं उपस्थिति अस्तित्व के तौर पर बनी रह सकती हैं और उनके लिए ऐसे पंजीकरण की वैधता के दौरान, इन नियमों के तहत निर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण: विनियम 3 के खंड (1) के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए, वितरण के तरीके निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक होंगे:

- (क) भौतिक;
- (ख) ऑनलाइन;
- (ग) भौतिक और ऑनलाइन;
- (घ) इसके स्वयं के कर्मचारियों या अन्य कर्मियों के लिए”

VI. मुख्य विनियमों के विनियम 4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“4. पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु आवेदन। - (1) कोई पात्र आवेदक पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में दस हजार रुपये के गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क और उस पर लागू कर व लेवी सहित आवेदन कर सकता है। प्राधिकरण द्वारा ऐसे आवेदन की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर आवेदन प्राप्ति की सूचना दी जाएगी।

परन्तु, अटल पेंशन योजना के तहत गतिविधियों को संचालित करने का प्रस्ताव देने वाले आवेदक को किसी आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

(2) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2015 और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) विनियम, 2015 के निरसन के बावजूद, उक्त विनियमों के तहत पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व और संकलनकर्ता को इन विनियमों के तहत नए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। पात्रता मानकों को पूरा करने पर, विनियम 3 के तहत अन्य गतिविधियों को पूर्ण करने की अनुमति दी जाएगी।

(3) अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के वितरण और उक्त योजना के तहत अभिदाताओं की सेवा से संबंधित कोई भी उपस्थिति अस्तित्व, जिसे इन नियमों की अधिसूचना से पहले प्राधिकरण द्वारा इस तरह कार्य करने की अनुमति दी गई थी, वह इन विनियमों की अधिसूचना से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि या ऐसी विस्तारित अवधि तक, अथवा यदि वह पंजीकरण अनुदान के लिए आवेदन करता है, तो इन विनियमों की अधिसूचना के नब्बे दिनों के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि, जब तक कि उसके आवेदन का निपटान न हो जाए, तक कार्य करना जारी रख सकता है।”

VII. मुख्य विनियमों के विनियम 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“5. पात्रता मानक - (1) आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानक को पूरा करना आवश्यक है:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण या राष्ट्रीय आवास बैंक सहित किसी भी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक (कों) के साथ पंजीकृत और विनियमित हो;

(ख) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पंजीकरण के लिए, आवेदक को निम्नलिखित होना चाहिए:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य पूर्ववर्ती नियमों के तहत भारत में निगमित कंपनी;
- (ii) बैंक; या
- (iii) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक प्रमाणीकरण सहित)

(ग) अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए, आवेदक को निम्नलिखित होना चाहिए :-

- (i) बैंक; या
- (ii) प्रासंगिक कानूनों के तहत पंजीकृत कोई अन्य संस्था, यदि प्राधिकरण के विचार से, ऐसी संस्था जो वृद्धावस्था आय सुरक्षा के प्रावधान की सुविधा प्रदान कर सके;

स्पष्टीकरण: इस प्रयोजन के लिए, "बैंक" अर्थात ऐसी संस्था जो,

(i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 या किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत स्थापित; और

(ii) आरबीआई द्वारा पंजीकृत और विनियमित;

(घ) जिसका भारत में कम से कम एक शाखा/कार्यालय हो और जिसके पास सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना हो, जो अभिदाताओं के धन, निर्देशों को प्राप्त और प्रसारित करने तथा प्राधिकरण द्वारा जारी सेवा मानकों या प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार धन का भुगतान करने के लिए केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी में सक्षम हो;

(ङ) वैधानिक अंकेक्षक (ऑडिटर) द्वारा विधिवत प्रमाणित, ठीक पिछली तिमाही के अंतिम दिन न्यूनतम शुद्ध मालियत (नेट वर्थ) दो करोड़ रुपये जिसमें न्यूनतम समादत्त इक्विटी पूंजी पचास लाख रुपये शामिल हों;

स्पष्टीकरण: "शुद्ध मालियत (नेट वर्थ)" अर्थात कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(57) के तहत परिभाषित होगा।

परन्तु यह आवश्यकता निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होगी:

(i) अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाली संस्था;

(ii) केंद्र या राज्य सरकारों के विभाग/बोर्ड;

(च) यह और इसके मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक **अनुसूची V** के तहत दिए गए "उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति मानदंड" को पूरा करेंगे ;

स्पष्टीकरण: "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक" का वही अर्थ होगा जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के तहत परिभाषित किया गया है।

(छ) पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक लाभप्रदता (कर के पश्चात लाभ) का दो साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए;

परन्तु यह शर्त इन पर लागू नहीं होगी:

(i) वित्तीय उत्पादों का वितरण करने वाली ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियां, भुगतान बैंक तथा लघु वित्त बैंक से संबंधित विनियामकों में ऐसी गतिविधियों हेतु पंजीकृत होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए;

(ii) ऐसे बैंक जो अटल पेंशन योजना के तहत अपनी गतिविधियों का संचालन करने का प्रस्ताव कर रहे हैं; और

(iii) केंद्र और राज्य सरकारों के विभाग/बोर्ड ;

परन्तु ऐसी कोई भी संस्था जो इस मानक को पूरा नहीं करती हो, समुचित कारणों से छूट हेतु आवेदन कर सकती है। प्राधिकरण द्वारा उचित समझे जाने पर, ऐसी छूट दी जा सकती है और उचित शर्त लगाई जा सकती है, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

(ज) प्राधिकरण द्वारा दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों के माध्यम से निर्दिष्ट किए गए कोई अन्य मानक।"

VIII. मुख्य विनियमों के विनियम 6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"6. सूचना का प्रकटन – आवेदक द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत आवेदन की किसी भी सूचना में परिवर्तन की सूचना, ऐसे परिवर्तन होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर, शीघ्र देनी होगी।"

IX. मुख्य विनियमों के विनियम 7 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"7. सूचना और स्पष्टीकरण का दिया जाना.- प्राधिकरण द्वारा आवेदक को दिए गए समय के भीतर कोई अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण देने या किसी दोष या कमी को दूर करने की, लिखित रूप से दर्ज कारणों के साथ, मांग की जा सकती है। यदि प्राधिकरण द्वारा आवश्यक हो, तो आवेदक को अपने प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के माध्यम से अपने आवेदन पर विचार किए जाने समय, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।"

X. मुख्य विनियमों के विनियम 8 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"8. सूचना का सत्यापन - (1) आवेदन पर विचार करते समय, प्राधिकरण:

(क) दस्तावेजों का सत्यापन कर सकता है, कार्यालय स्थल और तकनीकी क्षमताओं सहित उन संसाधनों का निरीक्षण कर सकता है, जिन्हें आवेदक के पास होना अपेक्षित है।

(ख) किसी भी ऐसी एजेंसी से रिपोर्ट मांग सकता है जिसका आवेदन पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(2) सूचना के सत्यापन के उद्देश्य से, प्राधिकरण द्वारा अपने किसी अधिकारी या बाहरी एजेंसी सहित किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है।"

XI. मुख्य विनियमों के विनियम 9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"9. आवेदन पर विचार किया जाना -

(1) आवेदक की पात्रता पर विचार करने और ऐसे आवेदक को पंजीकरण प्रदान करने के लिए, प्राधिकरण ऐसे सभी मामलों को ध्यान में रखेगा जिन्हें वह पेंशन क्षेत्र के लिए प्रासंगिक मानता है, जिनमें निम्नलिखित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, भी शामिल होंगे:

(क) क्या आवेदक को पिछले पांच वर्षों में भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण या राष्ट्रीय आवास बैंक सहित किसी भी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र देने से मना किया गया है और किन कारणों के तहत;

(ख) क्या आवेदक इन विनियमों के तहत पात्रता मानकों सहित, उपयुक्त-तथा उचित व्यक्ति मानदंड को पूरा करता है; और

(ग) क्या आवेदक को प्रमाण पत्र प्रदान करना अभिदाताओं के हित और अधिनियम के तहत शामिल योजनाओं के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए है।

(2) पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए कोई आवेदन,-

(क) जो सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है और इन विनियमों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है;

(ख) जिसमें प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना शामिल नहीं है;

(ग) जो गलत, असत्य या भ्रामक प्रकृति के हैं या महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करने से चूक गया है;

(घ) जहां आवेदक इन विनियमों के तहत उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति मानदंड सहित पात्रता मानकों का अनुपालन नहीं करता है; या

(ङ) जो प्राधिकरण की राय में अभिदाताओं के हित और अधिनियम के तहत शामिल योजनाओं के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए नहीं है;

ऐसे आवेदन को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों सहित प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(3) किसी आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, प्राधिकरण द्वारा आवेदक को एक नोटिस दिया जाएगा जिसमें उसकी प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर अपने आवेदन में दोष या कमियों, यदि कोई हो, को दूर करने का नोटिस शामिल होगा।

परन्तु जहां प्राधिकरण की प्रथम दृष्टया राय है कि पंजीकरण नहीं दिया जाना चाहिए, वह ऐसी राय को कारणों सहित सूचित करेगा और आवेदक को यह समझाने का अवसर देगा कि उसका आवेदन क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए, यह स्पष्टीकरण प्राधिकरण से सूचना प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर किया जाना होगा ताकि प्राधिकरण अपनी अंतिम राय बनाने में सक्षम हो सके।

परन्तु जहां किसी आवेदन को गलत, त्रुटिपूर्ण या भ्रामक प्रकृति के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है या महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकटन करने से चूक गया है, ऐसी अस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए नया पंजीकरण प्रमाणपत्र देने के लिए किसी भी नए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(4) विनियमन 4 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन का निपटान प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित के तीस दिनों के भीतर किया जाएगा:

- (क) आवेदक से पूरी सूचना, यदि कोई हो, की प्राप्ति;
- (ख) उप-विनियम (3) के तहत अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय की समाप्ति; या
- (ग) स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, उप-विनियम (3) के तहत प्राप्त या स्पष्टीकरण देने के लिए निर्धारित समय की समाप्ति पर।”

XII. मुख्य विनियमों के विनियम 10 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“10. पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया –

(1) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, आवेदक को पंद्रह दिनों के भीतर पच्चीस हजार रुपये का पंजीकरण शुल्क और उस पर लागू कर और लेवी जमा करने के लिए सूचित करेगा। पंजीकरण शुल्क प्राप्त होने पर, प्राधिकरण अनुसूची- I में निर्दिष्ट फॉर्म में पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा और आवेदक को सूचना भेजेगा।

परन्तु, यदि किसी आवेदक द्वारा अटल पेंशन योजना के तहत गतिविधि संचालित करने का प्रस्ताव दिया गया हो तो उसे पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

परन्तु जहां प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक, न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदक या उसके प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही (पात्रता मानक से संबंधित) लंबित है, प्राधिकरण जैसा उचित समझे, सशर्त पंजीकरण दे सकता है।

(2) आवेदक (अटल पेंशन योजना, केंद्र या राज्य सरकार के विभागों / बोर्डों के तहत आवेदक के अलावा) जिसे पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है, उसे उचित ग्रहणाधिकार चिह्न के साथ, प्राधिकरण के पक्ष में तीस दिनों के भीतर या उपस्थिति अस्तित्व के रूप में गतिविधियों के शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, बैंक गारंटी या बैंक सावधि जमा के रूप में सुरक्षा राशि (प्रतिभूति) जमा करनी होगी। ऐसी जमा राशि इसकी शुद्ध मालियत (नेट वर्थ) के एक प्रतिशत के बराबर या पांच लाख रुपये, जो भी अधिक हो, होगी। परन्तु अधिकतम सुरक्षा जमा राशि बीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

(3) आवेदक को सुरक्षा राशि प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना वापस नहीं की जाएगी।

(4) यदि प्राधिकरण की प्रथम दृष्टया राय है, कि उसके द्वारा नियुक्त किसी भी उपस्थिति अस्तित्व या पेंशन अभिकर्ता ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों या निर्देशों या पंजीकरण के किसी भी नियम और शर्तों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है, या यह अभिदाताओं हित में आवश्यक है, तो प्राधिकरण ऐसे उपस्थिति अस्तित्व के विरुद्ध शुरू की गई कोई कार्रवाई या विचार के लंबित रहने तक, सुरक्षा जमा राशि (पूर्ण या आंशिक रूप से) जब्त कर सकता है और वसूल कर इसे अभिदाताओं के हित में लागू कर सकता है।”

XIII. मुख्य विनियमों के विनियम 11 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“11. पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तें. —(1) प्राधिकरण द्वारा उपस्थिति अस्तित्व को दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

(क) जहां प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन होता है, उसे सात दिनों के भीतर प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: " प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन" में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 13) के प्रावधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून के संबंधित प्रावधान या किसी समझौते के दायरे में आने वाले सम्मेलन, अविलयन (डीमर्जर), समेकन या किसी अन्य प्रकार का कॉर्पोरेट पुनर्गठन या ऐसी व्यवस्था जिसका ऐसे कॉर्पोरेट पुनर्गठन पर प्रभाव पड़ेगा;

(ii) नियंत्रण में कोई परिवर्तन; या

स्पष्टीकरण - “नियंत्रण अर्थात् कंपनी अधिनियम की धारा

2 (27) के तहत परिभाषित”

(iii) विधिक स्थिति में कोई परिवर्तन;

- (ख) इन विनियमों या निर्देशों के अनुसार करें और लेवी के साथ नवीकरण शुल्क का भुगतान ;
- (ग) अधिनियम, प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन ;
- (घ) उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति मानदंड सहित हर समय पात्रता मानदंड को पूरा करना। इस प्रयोजन के लिए, उसे एक वार्षिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि:

(i) यह पात्रता मानदंडों को पूरा करता है; और

(ii) यह सभी लागू कानूनों का अनुपालन करता है;

परन्तु कोई भी मौजूदा उपस्थिति अस्तित्व जो लाभप्रदता से संबंधित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, विनियमन (14) के उप विनियमन (1) के तहत छूट की मांग कर सकता है; और

(ङ) विनियम 10(2) के तहत अपेक्षित सुरक्षा राशि (प्रतिभूति) जमा करना;

- (2) उपर्युक्त के बावजूद, प्राधिकरण ऐसी अन्य शर्तें लगा सकता है, जो अभिदाताओं के हित में हों और अधिनियम के तहत शामिल पेंशन योजनाओं के व्यवस्थित विकास के लिए उचित समझी जाएं।”

XIV. मुख्य विनियमों के विनियम 12 को हटा दिया जाएगा।

XV. मुख्य विनियमों के विनियम 13 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“13. पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि - (1) अधिनियम, नियमों और विनियमों तथा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों और विनिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन, उपस्थिति अस्तित्व को दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है।

(2) जहां पंजीकरण प्रमाणपत्र शर्तों के अधीन प्रदान किया गया है, ऐसे पंजीकरण की वैधता उन शर्तों के अधीन मानी जाएगी।

(3) उपस्थिति अस्तित्व, पंजीकरण की तिथि से प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति से पहले नब्बे दिनों के भीतर, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में देय नवीकरण शुल्क के साथ आवेदन कर सकता है।

परन्तु, यदि नवीकरण शुल्क के साथ आवेदन, नवीकरण शुल्क की देय तिथि से एक वर्ष के भीतर प्राधिकरण को प्राप्त होता है, तो देरी की ऐसी अवधि के लिए प्रति माह पांच हजार रुपये का विलंब शुल्क लागू करें और लेवी के साथ आवेदक द्वारा प्राधिकरण को देय होगा।

(4) नवीकरण शुल्क, पिछले वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य पेंशन योजनाओं के तहत गतिविधियों से अर्जित प्रभार का आधा प्रतिशत (0.5%) होगा जो, न्यूनतम पंद्रह हजार रुपये और अधिकतम एक लाख रुपये होगा।

किंतु केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों/बोर्डों या अटल पेंशन योजना के तहत पहले से पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व के संबंध में, यह शर्त लागू नहीं होगी।”

XVI. मुख्य विनियमों के विनियम 14 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“14. कुछ मामलों में पात्रता मानक से छूट- (1) यदि कोई उपस्थिति अस्तित्व लाभप्रदता से संबंधित विनियम 5 के उप-विनियम (1) के उप-खंड (छ) के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानक को पूरा नहीं करता है, तो वह उचित कारणों सहित छूट की मांग कर सकता है। ऐसे पात्रता मानकों की पूर्ति, से प्राधिकरण द्वारा उचित समझे जाने पर, ऐसी छूट दी जा सकती है और उचित शर्तें लगाई जा सकती हैं, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

(2) इस संशोधन की अधिसूचना की तिथि के अनुसार मौजूदा उपस्थिति अस्तित्व, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर शुद्ध मालियत (नेट वर्थ) के पात्रता मानदंडों को पूरा करेगा।”

XVII. मुख्य विनियमों के विनियम 15 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“15. उपस्थिति अस्तित्व के कर्तव्य एवं दायित्व. —(1) उपस्थिति अस्तित्व अधिनियम के प्रावधानों, नियमों विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित कार्यों के संबंध में कर्तव्यों और दायित्व का निर्वहन करेगा -

(क) संभावित अभिदाताओं के साथ संपर्क:

(i) अधिनियम के तहत शामिल पेंशन योजनाओं से संबंधित प्रश्नों का समाधान; और

(ii) पेंशन योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार सूचना प्रदान करना और प्रदर्शित करना, जिसमें पेंशन योजनाओं से संबंधित आवेदन पत्र या किसी अन्य प्रचार सामग्री से संबंधित सूचना शामिल है ;

(ख) अभिदाताओं का पंजीकरण:

(i) अपने अभिदाता को जानें (केवाईसी) रिकॉर्ड के साथ अभिदाता पंजीकरण अनुरोध प्राप्त करना;

(ii) अभिदाता को जानने के लिए उचित सावधानी प्रक्रिया (ड्यू डिलिजेंस) का संचालन करना;

(iii) अनुरोध को केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण प्रणाली में या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित तरीके से संसाधित करना ;

(ग) अंशदान के संसाधन संबंधी कार्रवाई:

(i) प्रत्येक पेंशन योजना के लिए "पीओपी का नाम या इसका संक्षिप्त नाम - संग्रह खाता - पेंशन योजना का नाम या इसका संक्षिप्त नाम - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इसका संक्षिप्त नाम" के नाम पर एक संग्रह खाता खोलना और उसे प्रबंधित करना, ऐसा खाता केवल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के खाते में धनराशि स्थानांतरित करने के विकल्प के साथ एक गैर-निकासी योग्य खाता होगा;

उपर्युक्त के बावजूद, गलत प्रविष्टियों, अज्ञात प्रविष्टियों या अभिदाता की अनिच्छा से राशि प्राप्त होने जैसे असाधारण मामलों में लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों सहित इसे किसी अन्य खाते में जमा किया जा सकता है जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी जाए;

(ii) अभिदाता या उनके नियोक्ता से अंशदान प्राप्त करना;

(iii) अंशदान विवरण अपलोड करना और केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण से अभिदाता अंशदान फ़ाइल तैयार करना और;

(iv) न्यासी बैंक में खोले गए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास खाते में अंशदान जमा करना;

(घ) अभिदाता अनुरोधों की सेवा:

(i) विनियम 17 के उप-विनियम (1) के खंड (ड) के तहत निर्दिष्ट या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण प्रणाली में अनुरोधों या निर्देशों को प्राप्त, संसाधित और स्वीकृत करना;

(ड.) अभिदाता की शिकायत का निवारण :

(i) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 और इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देश, परिपत्र, विनिर्देश और निर्देशों के अनुसार शिकायतें प्राप्त करना और उनका निवारण करना ।

(च) निकास और प्रत्याहरण अनुरोधों पर कार्रवाई करना:

(i) निर्धारित दस्तावेजों और केवाईसी रिकॉर्ड के साथ पेंशन योजनाओं से निकासी और प्रत्याहरण के लिए अनुरोध प्राप्त करना;

(ii) अभिदाता या नामित व्यक्ति या विधिक उत्तराधिकारी के लिए उचित सावधानी प्रक्रिया का संचालन करना;

(iii) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 (यथासंशोधित) और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देश, परिपत्र, विनिर्देश और निर्देशों के तहत आवश्यक केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण प्रणाली में उक्त अनुरोध को संसाधित और अनुमोदित करना ।

(छ) दस्तावेजों का रखरखाव और उनका अंतरण केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण को:

(i) प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से, निर्धारित दस्तावेजों और केवाईसी रिकॉर्ड के साथ फॉर्म को बनाए रखना तथा उसे केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण को अंतरित करना;

(ज) अनुपालन रिपोर्ट और प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना :

(झ) प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों, विनिर्देशों और निर्देशों के तहत निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना;

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत कार्यों, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन में, उपस्थिति अस्तित्व-

(क) प्राधिकरण द्वारा परिपत्रों, दिशानिर्देशों, विनिर्देशों और निर्देशों के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा और अन्य आवश्यकताओं के साथ सेवा मानकों का अनुपालन करना;

(ख) केवाईसी, धन शोधन निवारण (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध (सीएफटी) पर प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निर्देशों का अनुपालन करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि अभिदाता की उचित सावधानी प्रक्रिया, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 17) और उसके तहत अधिसूचित नियमों या प्रासंगिक नियमों, दिशानिर्देशों के अलावा किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक केवाईसी सत्यापन प्रक्रियाओं के प्रभावी उपयोग के माध्यम से आयोजित की जाती हो तथा इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र, निर्देश का अनुपालन करना;

(घ) सभी प्रकार की धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए आवश्यक सभी उपाय करना और प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी रोकथाम और प्रशमन नीति विकसित कर उसका पालन करना;

(ङ) अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक नियंत्रण निर्धारित कर यह सुनिश्चित करना कि ऐसे नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; और

(च) उपस्थिति अस्तित्व या उसके तहत स्थापित पेंशन अभिकर्ताओं की ओर से धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण किसी भी नुकसान के लिए अभिदाता को निर्धारित क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान करना।

स्पष्टीकरण: इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, आंतरिक नियंत्रण शब्द का अर्थ धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम, इनका पता लगाने, रिकॉर्ड करने, समय पर तैयारी और विश्वसनीय अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना, सटीकता तथा पूर्णता सहित अपने कार्यों का व्यवस्थित एवं कुशल आचरण सुनिश्चित करने के लिए उपस्थिति अस्तित्व द्वारा अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है।

(3) सेवानिवृत्ति सलाहकारों की नियुक्ति-

(क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सेवाओं के प्रावधान के लिए पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 के तहत प्राधिकरण में पंजीकृत सेवानिवृत्ति सलाहकारों की सेवाएं ले सकता है।"

XVIII. मुख्य विनियमों के विनियम 16 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

" 16. अभिदाताओं से लिया जाने वाला प्रभार - उपस्थिति अस्तित्व द्वारा अभिदाता से जो प्रभार एकत्र किया जाएगा, वह प्राधिकरण द्वारा अनुमत सीमा, प्रारूप और संग्रह की पद्धति के अधीन होगा।"

XIX. मुख्य विनियमों के विनियम 17 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"17. अभिलेखों का रखरखाव, खातों की लेखापरीक्षा और निरीक्षण -

(1) इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट अवधि के लिए अपनी गतिविधियों के संबंध में उपस्थिति अस्तित्व द्वारा निम्नलिखित रिकॉर्ड रखे जाएंगे:

(क) अभिदाताओं से प्राप्त आवेदनों का विवरण और पंजीकरण के लिए केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण को प्रस्तुत ऐसे सभी आवेदकों के लिए स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्राण) डेटा;

(ख) अभिदाताओं से प्राप्त धन का विवरण - नकद, चेक द्वारा, या प्रेषण के किसी अन्य अधिकृत रूप में;

(ग) दैनिक आधार पर रखी गई नकदी का विवरण;

(घ) न्यासी बैंक को भेजे गए अभिदाता-वार धन का विवरण;

(ङ) अभिदाता-वार निर्देशों का विवरण जैसे उपस्थिति अस्तित्व में बदलाव, केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण में बदलाव, पेंशन निधि में बदलाव, योजना में बदलाव, नामांकन विवरण में बदलाव, व्यक्तिगत विवरण में बदलाव, संपर्क विवरण में बदलाव, पते में बदलाव, त्रुटि सुधार अनुरोध या प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्राप्त कोई अन्य अनुरोध, प्राप्त करने, संसाधित करने और केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण को भेजने के लिए; और

(च) अभिदाता-वार निकास या प्रत्याहरण या आंशिक निकासी अनुरोधों का विवरण प्राप्त कर संसाधित करना और केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण को भेजना।

(2) उपस्थिति अस्तित्व:

(क) पेंशन अभिकर्ताओं को सौंपे गए कार्यों सहित पेंशन योजनाओं के संबंध में उसकी प्रक्रियाओं, संचालन और खातों की वार्षिक लेखापरीक्षा करवाएगा; और

(ख) प्राधिकरण की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।”

XX. मुख्य विनियमों के विनियम 19 के उप-विनियम (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(2) प्रत्येक उपस्थिति अस्तित्व अपने कर्मचारियों या पेंशन अभिकर्ताओं या अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए कृताकृत्य या चूक के लिए उत्तरदायी होगा, जिनकी सेवाएं उसने प्राप्त की हैं और अपनी ओर से किये गए धोखाधड़ी या लापरवाही के किसी भी कार्य के लिए अभिदाता को क्षतिपूर्ति देगा।”

XXI. मुख्य विनियमों का विनियम 20 हटा दिया जाएगा;

XXII. मुख्य विनियमों के विनियम 21 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“21. अनुपालन अधिकारी, नामित निदेशक और प्रधान अधिकारी की नियुक्ति —

(1) उपस्थिति अस्तित्व एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करेगा जो अभिदाता शिकायतों के निवारण सहित प्राधिकरण द्वारा जारी अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, विनिर्देशों और निर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) अनुपालन अधिकारी, ऐसे किसी भी विचलन या गैर-अनुपालन की रिपोर्ट तुरंत और स्वतंत्र रूप से प्राधिकरण को देगा।

(3) उपस्थिति अस्तित्व धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 17) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में नामित निदेशक और प्रधान अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

(4) उप-विनियम (1) और (3) के तहत नियुक्त अधिकारियों के संबंध में किसी भी बदलाव की सूचना शीघ्र अथवा तीन कार्यदिवसों के भीतर प्राधिकरण को ~~अब~~ दी जाएगी।”

XXIII. मुख्य विनियमों के विनियम 22 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“22. आचार संहिता - उपस्थिति अस्तित्व को अनुसूची II में निर्दिष्ट आचार संहिता का प्रतिपल अनुपालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशन अभिकर्ता भी इसका अनुपालन करें।”

XXIV. मुख्य विनियमों के विनियम 23 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“23. निरीक्षण और लेखापरीक्षा -

(1) प्राधिकरण नियमित अंतराल पर उपस्थिति अस्तित्व का निरीक्षण करेगा जैसा वह उचित समझे। उपर्युक्त के बावजूद, प्राधिकरण किसी भी समय, जैसा उचित समझे, सीधे या एक अंकेक्षक (ऑडिटर) नियुक्त कर सकता है या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से इस विनियमन के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपस्थिति अस्तित्व के कॉल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तथा दस्तावेजों सहित बहियों, खातों, रिकॉर्ड का निरीक्षण या ऑडिट कर सकता है।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट उद्देश्यों में शामिल हो सकते हैं:

(क) यह सुनिश्चित करना कि बहीखाते, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों सहित रिकॉर्ड इन नियमों के तहत आवश्यक तरीके से बनाए गए हैं;

(ख) यह मालूम करना कि क्या पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय स्थापित किए गए हैं और उपस्थिति अस्तित्व द्वारा उनका अनुपालन किया जा रहा है;

(ग) यह मालूम करना कि अधिनियम, नियमों, प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों और विनिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है;

(घ) उपस्थिति अस्तित्व की गतिविधियों को प्रभावित करने वाले किसी भी मुद्दे पर अभिदाताओं, नोडल कार्यालयों, मध्यस्थों, कॉर्पोरेट्स या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों की जांच करना; और

(ङ) ऐसे मामलों में *स्वतः जांच करना* जिन्हें अभिदाताओं के हित में उचित समझा जाए।”

XXV. मुख्य विनियमों के विनियम 25 के उप-विनियम (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(2) उपस्थिति अस्तित्व, प्राधिकरण या उसके अधिकृत प्रतिनिधि या लेखा परीक्षक को उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्थापित किए गए परिसर तक उचित पहुंच की अनुमति देगा और उपस्थिति अस्तित्व या पेंशन अभिकर्ताओं या ऐसे अन्य व्यक्ति के पास कंप्यूटर डेटा और दस्तावेजों या अन्य सामग्रियों की प्रतियां भी प्रदान करेगा तथा किसी भी पुस्तकों, अभिलेखों, दस्तावेजों की जांच के लिए उचित सुविधा भी प्रदान करेगा, जो प्राधिकरण या उसके अधिकृत प्रतिनिधि या लेखा परीक्षक की राय में, लेखापरीक्षा निरीक्षण के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं।”

XXVI. मुख्य विनियमों के विनियम 26 में उप-विनियम (2) के बाद, एक नया उप-विनियम (3) डाला जाएगा:

“(3) निरीक्षण या लेखापरीक्षा के दौरान अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट या ऐसे व्यक्ति द्वारा एकत्र किए गए किसी भी दस्तावेज या सूचना, प्राधिकरण के समक्ष किसी भी जांच या किसी अन्य कार्यवाही में स्वीकार्य होगी।”

XXVII. मुख्य विनियमों के विनियम 29 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“29. पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करना या निलंबन—

(1) जहां उपस्थिति अस्तित्व :

(क) पंजीकरण प्रमाणपत्र की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है;

(ख) अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत जारी नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, विनिर्देशों और निर्देशों का उल्लंघन करता है;

(ग) अनुचित व्यापार प्रथाओं या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अभिदाताओं के व्यवस्थित विकास के लिए प्रतिकूल तरीके से अपना व्यवसाय संचालित करता है;

(घ) अपनी गतिविधि उपस्थिति अस्तित्व से संबंधित, प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई भी सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहता है;

(ङ) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित आवधिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है;

(च) प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी भी जांच में सहयोग नहीं करता है;

(छ) पंजीकरण के समय प्रस्तुत व्यवसाय योजना के संबंध में या सभी उपस्थिति अस्तित्व पर लागू किसी अन्य समान मानक के विरुद्ध उपस्थिति अस्तित्व द्वारा किए गए नए अभिदाता पंजीकरणों की संख्या के संदर्भ में अपने प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा में विफल रहता है ;

(ज) अधिनियम की धारा 28 के तहत उल्लिखित कोई भी चूक का कार्य करता है;

(झ) परिसमापन में चला जाता है या दिवालिया घोषित कर दिया जाता है;

(ञ) प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना उसका व्यवसाय किसी अन्य उपस्थिति अस्तित्व पर स्थानांतरित या समामेलित हो जाता है;

(ट) लागू करें एवं लेवी के साथ देय शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है;

(ठ) गतिविधि जारी रखना बंद कर देता है या प्राधिकरण द्वारा दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को लौटाने के लिए स्वेच्छा से आवेदन करता है;

(ड) इसके द्वारा दिए गए किसी भी प्रतिनिधित्व, वारंटी या वचन का पालन करने या निष्पादित करने में विफल रहता है या ऐसा करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए समय के भीतर किसी उल्लंघन या विफलता को ठीक करने में विफल रहता है;

(ढ) प्राधिकरण को गलत बयान या सूचना प्रस्तुत करता है जिसका प्राधिकरण या अभिदाताओं या किसी मध्यस्थ के अधिकारों, दायित्वों या हितों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है;

(ण) स्वामित्व, प्रबंधन या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों में परिवर्तन करता है जो प्राधिकरण की राय में अभिदाताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है;

(त) वैध प्रतिभूति राशि (सुरक्षाराशि) जमा करने में विफल रहता है; या

(थ) अभिदाताओं के हित में या अधिनियम के तहत पेंशन योजना के व्यवस्थित विकास में प्राधिकरण द्वारा जारी किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है।

प्राधिकरण, आदेश द्वारा, किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पंजीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द कर सकता है, या जैसा उचित समझा जाए, कोई आदेश या निर्देश पारित कर सकता है।”

XXVIII. मुख्य विनियमों के विनियम 30 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“30. पंजीकरण प्रमाणपत्र को वापस लौटाना (समर्पण)-

(1) उपस्थिति अस्तित्व प्राधिकरण से अनुरोध करके अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वतः लौटा सकता है।

(2) ऐसे अनुरोध पर विचार करने के लिए, प्राधिकरण निम्नलिखित की मांग कर सकता है-

(क) अपनी लागत और व्यय पर अभिदाताओं के रिकॉर्ड, निधि या प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए इसके द्वारा की गई व्यवस्था और निरंतरता सुनिश्चित करना तथा अभिदाताओं को सेवा प्रदान करना;

(ख) अभिदाताओं की शिकायतों का निवारण;

(ग) चूक और लंबित कार्रवाइयों, यदि कोई हो, को सुधारना; और

(घ) अभिदाताओं के हित में उठाए जाने वाले कोई अन्य उपाय।

(3) समर्पण के अनुरोध पर विचार करते समय, प्राधिकरण उपस्थिति अस्तित्व पर ऐसी शर्तें लगा सकता है जो वह अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उचित समझे।

(4) किसी भी समर्पण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि प्राधिकरण संतुष्ट न हो जाए कि उपस्थिति अस्तित्व ने उप-विनियम (2) के तहत अर्हताओं और उप-विनियम (3) के तहत अन्य शर्तों, यदि कोई हो, का अनुपालन किया है या उनके अनुपालन के लिए कदम उठाए हैं।

(5) उपस्थिति अस्तित्व से समर्पण के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा चूक के लिए कोई कार्रवाई शुरू की गई है या विचार किया जा रहा है।

(6) जहां प्राधिकरण ने समर्पण के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, वह उपस्थिति अस्तित्व को दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर देगा और सात कार्य दिवसों के भीतर संस्था को सूचित करेगा और ऐसी सूचना अपनी वेबसाइट पर डाल देगा और संस्था को ऐसी सूचना अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए निर्देशित करेगा और सूचना का प्रसार, इस तरीके से, जैसी आवश्यकता हो, निर्देशित करेगा।”

XXIX. मुख्य विनियमों के विनियम 31 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“31. प्रमाणपत्र के निलंबन, रद्दीकरण या समर्पण का प्रभाव - (1) पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन की तिथि से, उपस्थिति अस्तित्व को निर्देशित किया जाएगा-

(क) अभिदाता या भावी अभिदाता से कोई अतिरिक्त कार्यभार नहीं लेगा या कोई नया अंशदान या सूचना एकत्र नहीं करेगा। ऐसे निलंबन की अवधि के दौरान, यह किसी भी गतिविधि को जारी रखना बंद कर देगा जिसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्देशित सीमा तक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था;

(ख) मामले के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य पेंशन योजनाओं के तहत नया व्यवसाय करना बंद कर देगा;

(ग) इसके द्वारा उपगत या ग्रहण की गई देनदारियों के संबंध में प्रावधान करेगा;

(घ) परिसंपत्तियों, अभिलेखों, दस्तावेजों या सूचना के संबंध में ऐसी कार्रवाई करेगा जो उपस्थिति अस्तित्व के अधिकार या नियंत्रण में हो, समय सीमा के भीतर और उस तरीके से जो प्रासंगिक नियमों के तहत आवश्यक हो या जैसा हो सके, प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाएगा ;

(ङ) प्राधिकरण द्वारा निर्देशित रूप और तरीके से उसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में मौजूद परिसंपत्तियों, अभिलेखों, दस्तावेजों या सूचनाओं को अपनी लागत पर किसी अन्य उपस्थिति अस्तित्व पर स्थानांतरित करेगा;

(च) अपनी लागत और व्यय पर, अभिदाताओं के सभी रिकॉर्ड के सुचारू हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा, और परिसंपत्तियों के ऐसे हस्तांतरण के संबंध में ऐसी सार्वजनिक घोषणा या प्रकटीकरण करेगा जो अभिदाता के हित के लिए अनुकूल हो। यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रासंगिक दस्तावेजों, रिकॉर्ड या सूचना का हस्तांतरण प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया गया है;

(छ) परिसंपत्तियों का हस्तांतरण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों या निर्देशों के अनुसार किया जाएगा; और

(ज) उपस्थिति अस्तित्व प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन होगा, जब तक कि ऐसे सभी स्थानांतरण या कार्य पूरे नहीं हो जाते या जब तक पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित नहीं होता।

(2) पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने की तिथि से, संबंधित उपस्थिति अस्तित्व -

(क) उन गतिविधियों के लिए अपना कामकाज बंद कर देगा जिनके संबंध में पंजीकरण प्रदान किया गया हो;

(ख) इस प्रकार निरस्त पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राधिकरण को लौटा देगा और इसकी सूचना प्राधिकरण द्वारा निर्देशित अन्य हितधारकों को देगा तथा संबंधित सूचना को अपनी वेबसाइट पर निर्देशित अन्य तरीके से प्रसारित करेगा;

(ग) प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किसी भी अन्य निर्देश को पूरा कर उसके अनुपालन की रिपोर्ट करेगा;

(घ) इसके द्वारा उपगत या ग्रहण की गई देनदारी के संबंध में प्रावधान करेगा; और

(ङ) अभिदाताओं के किसी भी रिकॉर्ड या दस्तावेजों और संपत्तियों से संबंधित कार्रवाई सहित ऐसी अन्य कार्रवाई, जो ऐसे उपस्थिति अस्तित्व के अधिकार या नियंत्रण में हो, और जिसे निर्दिष्ट समय सीमा व विधि के अनुसार आवश्यक माना जा सकता है, करेगा।”

XXX. मुख्य विनियमों के विनियम 41 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“41. अभिदाताओं को देय क्षतिपूर्ति. - उपस्थिति अस्तित्व पर सेवा स्तर के मानकों या प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देश का अनुपालन करने में असफल होने की स्थिति में, अभिदाताओं को सेवाओं के प्रावधान के लिए समयसीमा और इसके कारण अभिदाता को होने वाली किसी भी हानि या असुविधा का कारण, उपस्थिति अस्तित्व को माना जाएगा जिसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अभिदाता को क्षतिपूर्ति देने के लिए वह उत्तरदायी होगा।

परन्तु अभिदाता की ओर से किसी प्रकार की हानि अथवा असुविधा को सिद्ध करना आवश्यक नहीं होगा।”

XXXI. मुख्य विनियमों के विनियम 42 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“42. रिपोर्ट और प्रकटीकरण - प्राधिकरण द्वारा दिए गए विनिर्देश के अनुसार, उपस्थिति अस्तित्व को उसके द्वारा किए गए व्यवसाय, केवाईसी से संबंधित मामलों और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 सहित अन्य कानूनों के तहत आवश्यक अनुपालन सहित अपनी गतिविधियों की आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।”

XXXII. मुख्य विनियमों के विनियम 43 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“43. गोपनीयता. - उपस्थिति अस्तित्व और पेंशन अभिकर्ता, अनुसूची III में निर्धारित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सहित किसी भी पेंशन योजना के तहत प्राप्त सभी रिकॉर्ड, डेटा और सूचना के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा। उपस्थिति अस्तित्व और पेंशन अभिकर्ता, प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, विधि की उचित प्रक्रिया में आवश्यक होने के अलावा, साक्ष्य के रूप में या किसी अन्य उद्देश्य के लिए ऐसे डेटा या सूचना का प्रस्तुत या साझा नहीं करेगा।”

XXXIII. मुख्य विनियमों के विनियम 44 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“44. पेंशन अभिकर्ताओं की सेवाएं लेना -

(1) उपस्थिति अस्तित्व अपने किसी भी कार्य को स्थानांतरित नहीं करेगा या नहीं सौंपेगा।

उपर्युक्त के बावजूद, उपस्थिति अस्तित्व इन विनियमों में निर्दिष्ट पेंशन योजनाओं के वितरण के सीमित कार्य के लिए अनुसूची IV के अनुसार पेंशन अभिकर्ताओं को नियुक्त कर सकता है।

(2) उपस्थिति अस्तित्व पेंशन अभिकर्ताओं द्वारा पेंशन योजनाओं पर अपने कार्यों के निर्वहन में इस तरह के अनुबंध के फलस्वरूप उत्पन्न किसी भी चूक या कृताकृत्य के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें पीएमएलए के तहत निर्धारित केवाईसी और एएमएल मानदंडों का अनुपालन, उनकी गतिविधियों की निगरानी और पर्यवेक्षण करना, प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

(3) उपस्थिति अस्तित्व पर पेंशन अभिकर्ता को देय प्रभार, कार्यों के लिए उनके बीच संविदात्मक समझौते के अनुसार होगा और इस शर्त के अधीन होगा कि अभिदाता से विशेष सेवा के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमत सीमा से अधिक प्रभार नहीं लिया जाना चाहिए।

(4) पेंशन अभिकर्ताओं के सामान्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे -

(क) पेंशन योजनाओं में पंजीकरण के लिए संभावित अभिदाता को अभिदाता पंजीकरण प्रारूप प्रदान करना;

(ख) अभिदाता पंजीकरण प्रारूप, उत्तरोत्तर सेवा अनुरोध (निकास और प्रत्याहरण अनुरोध को छोड़कर) प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट फॉर्म में, आवश्यक दस्तावेज के साथ अभिदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि वे हर तरह से पूर्ण हैं;

(ग) सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित केवाईसी रिकॉर्ड, पीएमएलए के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार एकत्र किए गए हैं। इसके बावजूद, केवाईसी, एएमएल और सीएफटी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने में उपस्थिति अस्तित्व की पूरी जिम्मेदारी बनी रहेगी;

(घ) सुनिश्चित करेगा कि अंशदान केवल चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उपस्थिति अस्तित्व के पक्ष में एकत्र किया जाता है, जिससे वे उक्त उपस्थिति अस्तित्व के संग्रह खाते के निर्धारित नामकरण के अनुसार जुड़े हुए हैं;

(ङ) सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न परिचालन गतिविधियों के लिए उपस्थिति अस्तित्व के लिए निर्धारित सेवा मानकों का पालन किया जाता है;

(च) उपस्थिति अस्तित्व अपने क्रियाकलाप में प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों, इत्यादि के अलावा अधिनियम, नियमों, विनियमों सहित विनियम 22, विनियम 43 और इस विनियम के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।”

XXXIV. मुख्य विनियमों के विनियम 45 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“45. स्पष्टीकरण जारी करने की प्राधिकरण की शक्ति - इन विनियमों के प्रावधानों को लागू करने या इन विनियमों की व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण के पास किसी भी परिपत्र या दिशानिर्देशों के रूप में कोई निर्देश या स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति होगी जो उपस्थिति अस्तित्व या उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति पर बाध्यकारी होगा।”

XXXV. विनियम 46 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“ 46. दिशानिर्देश जारी करने हेतु प्राधिकरण की शक्ति —(1) इन विनियमों के अध्याय V के तहत किसी भी आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, अभिदाताओं के हित में या उपस्थिति अस्तित्व के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से, आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है:

(क) किसी अन्य पेंशन योजना के तहत या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिदाताओंसे एकत्र किए गए किसी भी अंशदान या धन को ब्याज या बिना ब्याज के वापस करने के लिए उपस्थिति अस्तित्व को निर्देशित करना;

(ख) इसके सञ्चालन को निलंबित करने सहित कोई अन्य निर्देश जो प्राधिकरण मामले के अनुसार उचित समझे :

परन्तु कोई भी निर्देश जारी करने से पहले, प्राधिकरण संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा :

परन्तु, यदि परिस्थितियाँ यह बताती हैं कि किसी अंतरिम निर्देश को तुरंत पारित करने की आवश्यकता है, तो प्राधिकरण बिना किसी अनुचित देरी के निर्देश पारित करने के बाद संबंधित व्यक्ति(व्यक्तियों) को सुनवाई का उचित अवसर दे सकता है।”

XXXVI. मुख्य विनियमों की अनुसूची I को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“अनुसूची-I

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018

(देखें विनियम 10, 11, 13)

पंजीकरण प्रमाणपत्र

पंजीकरण संख्या.....

_____ (एनपीएस और/या एपीवाई और/या अन्य पेंशन योजनाओं) के लिए उपस्थिति अस्तित्व के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र

(क) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 27 की उपधारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के अनुसार उपस्थिति अस्तित्व के रूप में कार्य करने हेतु..... को यह पंजीकरण प्रमाणपत्र(पेंशन योजनाओं का नाम) में कारोबार करने के लिए प्रदान करता है।

(ख) उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) की पंजीकरण संख्या है।

जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा इसे निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है और यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 और उसमें हुए संशोधन के तहत प्रदान किए गए नियमों और शर्तों के अनुपालनके अधीन है।

तिथि :

स्थान : नई दिल्ली

के आदेश से

द्वारा

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण”

XXXVII. अनुसूची II को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“ अनुसूची- II

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018

(विनियम 22 देखें)

आचार संहिता

- (1) उपस्थिति अस्तित्व और पेंशन अभिकर्ता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अधिनियम के तहत किसी अन्य पेंशन योजना के प्रबंधन में हितों के विरोध से बचेंगे और सभी मामलों में अभिदाताओं के हित को सर्वोपरि रखेंगे। यदि अभिदाताओं के हितों में तथा उपस्थिति अस्तित्व या उसके प्रतिनिधि के हितों में कोई परस्पर विरोध होता है तो, वरीयता अभिदाता के हितों को दी जाएगी।
- (2) अभिदाताओं को पेंशन प्रणाली पर ऐसे उचित प्रकटन तंत्र के माध्यम से, जो प्राधिकरण द्वारा यथाविहित किया जाए, पेंशन योजनाओं पर अद्यतन जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे कि अभिदाता संव्यवहारिक निर्णय करने में समर्थ हो सके-
- (क) अभिदाता को खाता खोलने से पूर्व, ऐसे अभिदाता को उस जानकारी को समझने के लिए पर्याप्त समय देगा।
- (ख) किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर अपनी वेबसाइट पर सतत आधार पर और युक्तियुक्त समय के भीतर या युक्तियुक्त आवधिक अंतरालों पर, जैसा लागू हो ; और
- (ग) लिखित रूप में और ऐसी रीति में, जिससे अभिदाता उसे समझ सकता हो, उपलब्ध कराई जाएगी।
- (3) उपस्थिति अस्तित्व और पेंशन अभिकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्होंने किसी भी सहयुक्त को कोई असम्यक् या अनुचित लाभ नहीं दिया है या किसी भी सहयुक्तों में से किसी से ऐसी रीति में बर्ताव नहीं किया गया है जो अभिदाताओं के हितों के प्रतिकूल हो।
- (4) उपस्थिति अस्तित्व और पेंशन अभिकर्ता, अपने सभी व्यवहारों और अपनी गतिविधियों के संचालन में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के उच्च मानक बनाए रखेंगे। वे हर समय सेवा के उच्च मानक प्रदान करेंगे, उचित सावधानी प्रक्रिया (ड्यू डिलिजेंस) करेंगे जिसका तात्पर्य कौशल और प्रबन्धन के मानक से है जो उचित विपणन पद्धति, अच्छा विश्वास, अभिदाता की प्रोफ़ाइल, उपस्थिति अस्तित्व पर अभिदाता की निर्भरता की सीमा के अनुरूप हो और स्वतंत्र पेशेवर निर्णय लेंगे।
- (5) उपस्थिति अस्तित्व और पेंशन अभिकर्ता अपनी योग्यता या सेवाएं प्रदान करने की क्षमता या उपलब्धियों के बारे में मौखिक या लिखित रूप से कोई कोई अतिशयोक्तिपूर्ण कथन नहीं देंगे।
- (6) उपस्थिति अस्तित्व और पेंशन अभिकर्ताओं को अनुचित आचरण में शामिल होने से प्रतिबंधित किया जाता है, अर्थात् ऐसा कार्य या चूक जो अभिदाता की ज्ञात संव्यवहारिक निर्णय लेने के सामर्थ्य को पर्याप्त रूप से कम करता है, या जिससे उसके पर्याप्त रूप से कम होने की संभावना है और इसके अंतर्गत अभिदाताओं के साथ ऐसा आचरण भी है, जो भ्रामक या अपमानजनक है।
- (7) उपस्थिति अस्तित्व और पेंशन अभिकर्ता, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रभार के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार संकलित नहीं करेंगे।
- (8) उपस्थिति अस्तित्व और पेंशन अभिकर्ता, पर्याप्त प्रक्रियाएं और सुविधाएं स्थापित करेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उसके अभिलेख किसी भी प्रकार की हानि या विनाश से संरक्षित हैं तथा अतिरिक्त सुविधा के प्रबंधन हेतु उचित व्यवस्था करेंगे।"

XXXVIII. मुख्य विनियमों की अनुसूची III को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“अनुसूची-III

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018

(विनियम 43 देखें)

उपस्थिति अस्तित्व द्वारा व्यक्तिगत सूचना का संरक्षण

1. व्यक्तिगत सूचना वह है जो अभिदाता से सम्बन्धित है या अभिदाता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहचान का अनुमान लगाने की अनुमति देता है, इसमें शामिल हैं :

- (क) नाम और संपर्क सूचना;
- (ख) व्यक्ति की बायोमीट्रिक सूचना;
- (ग) वित्तीय उत्पाद की लेनदेन या जमा से संबंधित सूचना;
- (घ) वित्तीय सेवाओं के उपयोग से संबंधित सूचना; या
- (ङ) विनियम के तहत निर्दिष्ट अन्य सूचना

2. उपस्थिति अस्तित्व या तो स्वयं या उसके अभिकर्ता के माध्यम से, -

(क) पेंशन योजनाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक से अधिक किसी अभिदाता से संबंधित व्यक्तिगत सूचना एकत्र नहीं करेंगे;

(ख) अभिदाताओं से संबंधित व्यक्तिगत सूचना की गोपनीयता बनाए रखेंगे और कानून के तहत आवश्यक होने के अलावा इसे किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेंगे;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे कि अभिदाता से संबंधित कोई भी व्यक्तिगत सूचना जो उसके पास है वह सटीक, अद्यतन और पूर्ण है;

(घ) सुनिश्चित करेंगे कि अभिदाता प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अपवाद के अधीन रहते हुए, अपनी व्यक्तिगत सूचना तक उचित पहुंच प्राप्त कर सकें; और

(ङ) अभिदाताओं को उनकी व्यक्तिगत सूचना में संशोधन करने का एक प्रभावी अवसर प्रदान करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपस्थिति अस्तित्व पर रखी गई व्यक्तिगत सूचना सटीक, अद्यतित और पूर्ण है।

3. उपस्थिति अस्तित्व किसी अभिदाता से संबंधित व्यक्तिगत सूचना को किसी तीसरे पक्ष को प्रकट कर सकता है यदि -

(क) इसने अभिदाता को सहमति से इनकार करने का एक प्रभावी अवसर देने के बाद, प्रकटीकरण के लिए अभिदाता की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त की है;

(ख) अभिदाता ने प्रकटीकरण की अनुमति दी है;

(ग) प्राधिकरण ने प्रकटीकरण को मंजूरी दे दी है या आदेश दिया है, और जब तक प्रासंगिक कानून या विनियमों द्वारा निषिद्ध नहीं किया जाता है, अभिदाता को ऐसे प्रकटीकरण के खिलाफ ऐसे कानून या विनियमों के तहत अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाता है; या

(घ) वास्तविक या संभावित धोखाधड़ी, अनधिकृत लेनदेन या दावों से बचाने या रोकने के लिए उनका खुलासा किया जाता है, यदि उपस्थिति अस्तित्व इस विनियमन के तहत आवश्यक तरीके से व्यक्तिगत सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए तीसरे पक्ष के साथ व्यवस्था करता हो।”

XXXIX. मुख्य विनियमों में अनुसूची III के बाद, एक नई अनुसूची IV निम्नानुसार सम्मिलित की जाएगी:

“अनुसूची – IV

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018

(विनियम 44 देखें)

पेंशन अभिकर्ताओं की सेवाएँ शामिल करना

(1) एनपीएस या एपीवाई के तहत गतिविधियां करने वाले उपस्थिति अस्तित्व:

क) पेंशन योजनाओं के वितरण के लिए पेंशन अभिकर्ता की सेवाओं का उपयोग कर सकता है;

ख) यह अनुबंध प्रमुख (प्रिंसिपल)-अभिकर्ता संबंध की प्रकृति में होगा। प्रत्येक पेंशन योजना के वितरण के लिए पेंशन अभिकर्ता किसी भी समय केवल एक पीओपी के साथ जुड़ा होगा;

ग) अपने बोर्ड की पूर्व मंजूरी से पेंशन अभिकर्ताओं को शामिल करने के लिए एक आंतरिक नीति तैयार करेगा। ऐसे अनुबंध से पहले उपस्थिति अस्तित्व द्वारा उचित सावधानी प्रक्रिया (ड्यू डिलिजेंस) का पालन किया जाएगा। उचित सावधानी प्रक्रिया (ड्यू डिलिजेंस) में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पहलू भी शामिल हो सकते हैं:

(i) सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिक व्यवहार

(ii) प्रतिष्ठा/बाज़ार में स्थिति

(iii) वित्तीय सुदृढ़ता

(iv) प्रबंधन और कॉर्पोरेट प्रशासन

(v) वित्तीय उत्पाद बेचने का पूर्व अनुभव

(vi) अभिकर्ता की पूरी व्यवसाय योजना

(vii) जोखिम प्रबंधन ढांचा और

(viii) वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में प्रौद्योगिकी समाधान लागू करने की क्षमता;

घ) अपने पेंशन अभिकर्ता से प्राप्त सुविधा के साथ अपनी गतिविधियों को बारीकी से समन्वयित और संरेखित करेगा, ताकि पेंशन योजनाओं के तहत गतिविधियों से कोई विचलन न हो और वे प्राधिकरण द्वारा जारी अधिनियम, नियमों, विनियम, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में हों;

ङ) समय-समय पर पेंशन अभिकर्ताओं के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा और खोले गए नए पेंशन खातों की संख्या, अभिदाताओं को प्रदान की गई सेवाओं या किसी अन्य कारण से ऐसी समीक्षा के आधार पर पेंशन अभिकर्ता के साथ अपना अनुबंध रद्द कर सकता है;

च) यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन अभिकर्ताओं से सीआरए तक अभिदाता सूचना और रिकॉर्ड का प्रवाह केवल संबंधित उपस्थिति अस्तित्व के माध्यम से होगा और यह उनके माध्यम से प्राप्त अभिदाताओं के सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड को बनाए रखने की जिम्मेदारी उपस्थिति अस्तित्व की होगी;

छ) पेंशन अभिकर्ताओं का नाम, संपर्क नंबर, विशिष्ट पहचान संख्या, पता, वितरित योजना आदि का विवरण बनाए रखेगा और उपस्थिति अस्तित्व की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा;

ज) ऑडिट/निरीक्षण के समय समझौतों, उचित परिश्रम, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति, पेंशन अभिकर्ताओं की सूची के संबंध में रिकॉर्ड या दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।

(2) पूर्ववर्ती उपस्थिति अस्तित्व उप-इकाई - इन संशोधनों की अधिसूचना की तिथि से, प्राधिकरण के साथ पहले पंजीकृत उप-इकाई (पीओपी-एसई) के पास इसके तहत निर्दिष्ट शर्तों का नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अनुपालन करने पर पेंशन अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने का विकल्प होगा।, पंजीकरण को रद्द करने के लिए संबंधित उपस्थिति अस्तित्व ऐसे उपस्थिति अस्तित्व उप-इकाइयों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को प्राधिकरण को सौंपने की पहल करेगा।

(3) जैसा कि ऊपर बताया गया है, उपस्थिति अस्तित्व उप-इकाई एक समझौते को निष्पादित कर पेंशन अभिकर्ता के रूप में उपस्थिति अस्तित्व के साथ जुड़ी रह सकती हैं और इसके तहत अधिसूचित अधिनियम, नियमों और विनियमों का अनुपालन कर सकती हैं।

(4) ऐसी उपस्थिति अस्तित्व उप-संस्थाएं जो पेंशन अभिकर्ता के रूप में जारी नहीं रहना चाहती हैं, उन्हें तुरंत अपनी गतिविधि बंद कर देनी चाहिए और उपस्थिति अस्तित्व के माध्यम से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राधिकरण को सौंप देना चाहिए। जिस उपस्थिति अस्तित्व के साथ ऐसा उपस्थिति अस्तित्व-उप-इकाई जुड़ा हुआ है, वह अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने और सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगा।

(5) उपर्युक्त के बावजूद, नियमों में इन संशोधनों की अधिसूचना से नब्बे दिनों की समाप्ति पर, ऐसे पीओपी-एसई के संबंध में जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राधिकरण में प्राप्त नहीं हुआ है, बिना किसी प्रभाव के उनका पंजीकरण रद्द माना जाएगा।

(6) पंजीकरण रद्द होने बावजूद, पंजीकरण के दौरान किए गए क्रियाकलापों की जिम्मेदारी उपस्थिति अस्तित्व उप इकाई तथा सम्बन्धित उपस्थिति अस्तित्व की होगी।

(7) उपस्थिति अस्तित्व अपने साथ जुड़ी उप-इकाइयों द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र के समर्पण के संबंध में सार्वजनिक सूचना देगा, चाहे वह पेंशन अभिकर्ता के रूप में काम कर रहा हो या नहीं।

(8) एनपीएस-लाइट सेवाएं प्रदान करने वाले उपस्थिति अस्तित्व के संबंध में, एनपीएस लाइट के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में बैंकिंग अभिकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।"

XL. मुख्य विनियमों में अनुसूची IV के बाद, नई अनुसूची V इस प्रकार शामिल की जाएगी :

“अनुसूची V

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
(उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018
(विनियम 5(1)(च) देखें)

उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति मानदंड

1. यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि कोई व्यक्ति 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति मानदंड' है, प्राधिकरण किसी भी मानक को ध्यान में रख सकता है जिसे वह उचित समझे, जिसमें निम्नलिखित शामिल है, किंतु जो निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं है:

(भाग क)

- (क) वित्तीय सत्यनिष्ठा
- (ख) दोषसिद्धि या नागरिक देनदारी का न होना
- (ग) सक्षमता
- (घ) उत्तम प्रतिष्ठा और चरित्र
- (ङ) दक्षता और ईमानदारी
- (च) वित्तीय विलेयता और शुद्ध मालियत (नेट वर्थ)

भाग (ख)

वह व्यक्ति जो निम्नलिखित कारणों वश अयोग्य है, वह उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति नहीं माना जाएगा।

- (i) प्राधिकरण द्वारा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 154 के तहत आपराधिक शिकायत या सूचना दायर की गई हो और जो लंबित हो;
 - (ii) ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आर्थिक अपराध से संबंधित मामलों में किसी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया हो और लंबित हो;
 - (iii) प्रतिभूति कानूनों या वित्तीय बाजारों से संबंधित किसी भी मामले में प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण या प्रवर्तन एजेंसी द्वारा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्रतिबंध, निषेध या रोक का आदेश पारित किया गया हो और ऐसा आदेश लागू हो;
 - (iv) ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा वसूली कार्यवाही शुरू की गई हो और लंबित हो;
 - (v) नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सजा का आदेश पारित किया गया हो;
 - (vi) ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई समापन कार्यवाही शुरू की गई हो या समापन का आदेश पारित किया गया हो;
 - (vii) ऐसे व्यक्ति जिसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो और उन्मोचन नहीं किया गया हो;
 - (viii) ऐसे व्यक्ति जिसको सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा विकृत दिमाग का पाया गया हो और यह निर्णय लागू हो;
 - (ix) ऐसे व्यक्ति जिसको इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया हो;
 - (x) ऐसे व्यक्ति जिसको भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया हो; या
 - (xi) कोई अन्य अयोग्यता जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जाए।
- (3) जहां किसी व्यक्ति को प्राधिकरण के आदेश द्वारा उपयुक्त और उचित घोषित नहीं किया गया है, ऐसा व्यक्ति उक्त आदेश में प्रदान की गई अवधि के दौरान या आदेश की प्रभावी तिथि से पांच साल की अवधि के लिए किसी भी पंजीकरण के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा, यदि आदेश में ऐसी कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं है।
- (4) प्राधिकरण की राय में, जहां उपस्थिति अस्तित्व या उसका कोई प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, किसी भी समय खंड (1) के उप-खंड (क) के तहत मानदंडों को पूरा नहीं करता है या उप-खंड (ख) के तहत अयोग्य या अक्षम पाया जाता है, इन विनियमों के प्रावधान के अनुसार, इसका पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

परन्तु उपस्थिति अस्तित्व, उप-विनियमन (1) के तहत मानदंडों को पूरा न करने वाले अपने प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति को, ऐसे मानक पूरा न करने से तीस दिनों के भीतर हटा देगा और अनुवर्ती कार्रवाई से प्राधिकरण को सूचित करेगा।”

डॉ. दीपक महान्ती, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./683/2023-24]

नोट : पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 237 में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/3 के माध्यम से दिनांक 25 जून 2018 को प्रकाशित किया गया था तथा इसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 238 में दिनांक 14 जून 2021 की अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/3 के माध्यम से प्रकाशित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) (संशोधन) विनियम, 2021 के द्वारा संशोधित किया गया था।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2024

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (POINT OF PRESENCE) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. PFRDA/16/05/112/0018/2020-REG-POP—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (e), (l), (n), (o), (p) and (w) of sub-section (2) of section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018, namely:-

(1) These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) (Amendment) Regulations, 2023.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

(3) In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018, as amended from time to time (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’), the following amendments are made.

I. **Sub-regulation (1) of regulation 1 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“1. **Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018. These regulations specify eligibility criteria, set governance standards to regulate the point of presence to serve and protect the interest of the subscribers.”

II. **Sub-regulation (3) of regulation 1 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“ (3) The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2015 and The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Aggregator) Regulations, 2015 shall stand repealed. The repeal shall not affect the previous operation of the regulations or anything duly done or suffered thereunder, or any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred thereunder or any penalty, confiscation or punishment incurred or liable to be incurred, in respect of any contravention under the regulation so repealed and any proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any penalty or punishment may be imposed or made as if the regulation had not been repealed.”

III. **In sub-regulation (1) of regulation 2 of the principal regulations,**

a. **Clause(b) shall be substituted as follows:**

“(b) “auditor” shall have the same meaning as defined under section 141 of Companies Act, 2013 and includes a system auditor;”

- b. **Clause (c) shall be deleted;**
- c. **Clause (d) shall be deleted;**
- d. **Clause (h) shall be deleted;**
- e. **After clause (i), a new clause (j) shall be inserted as follows:**

“(j) “pension agent” means any person engaged by point of presence for facilitating the distribution of pension schemes covered under the Act and shall comprise the following:

- (i) banking correspondents permitted by the Reserve Bank of India;
- (ii) insurance agents registered with the Insurance Regulatory and Development Authority of India;
- (iii) mutual fund distributors registered with Association of Mutual Funds in India; or
- (iv) any other person permitted by the Authority.”

IV. Sub-regulation (2) of regulation 2 of the principal regulations shall be deleted;

V. Regulation 3 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“3. Categories of the Point of Presence.— (1) An applicant may seek registration as a point of presence in respect of any one or more of the following pension schemes:

- a. National Pension System;
- b. Atal Pension Yojana; or
- c. any other scheme regulated or administered by Authority.

Provided that the entity(s) already registered for distribution and servicing only its own employees and other personnel, either through physical or online platforms, prior to these amendments, shall surrender its certificate of registration, and

- a. seek registration or authorisation in such manner as may be directed by Authority; or
- b. be associated with a point of presence, for its employees who are subscribers, within the time period so directed.

Provided further that the entity(s) already registered under NPS-Lite-Swavalamban scheme, prior to these amendments may continue to be a point of presence and shall be required to fulfil the eligibility conditions specified under these regulations, during the validity of such registration.

Explanation.— For the purposes of sub-clause (a) of clause (1) of regulation 3, modes of distribution shall be any one or more of the following:

- a. physical;
- b. online;
- c. physical and online;
- d. to its own employees and other personnel.”

VI. Regulation 4 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“4. Application for grant of certificate of registration.—(1) An eligible applicant may apply for grant of a certificate of registration in such form as determined by the Authority along with a non-refundable application fee of Rupees ten thousand plus applicable taxes and levies thereon. The Authority shall acknowledge receipt of the application within seven days of receipt of such application.

Provided that an applicant proposing to conduct activities under Atal Pension Yojana, shall not be required to pay any application fee.

(2) Notwithstanding the repeal of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2015 and Pension Fund Regulatory and Development Authority (Aggregator) Regulations, 2015, the point of Presence and Aggregator who were registered under the said regulations,

would be issued a fresh registration certificate under these regulations and would be permitted to undertake other activities under regulation 3, subject to fulfilment of eligibility criteria.

(3) Any point of presence dealing with distribution of Atal Pension Yojana (APY) and servicing of subscribers under the said scheme, which was granted a permission to function as such by the Authority, prior to the notifications of these regulations may continue to act as such for a period of one hundred and eighty days or such extended period, from the notification of the regulations, or if it makes an application for grant of registration, within ninety days of notification of the regulation or such extended period, till the disposal of its application by the Authority.”

VII. Regulation 5 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“5. Eligibility criteria.—(1) An applicant is required to fulfil the following eligibility criteria:

(a) be registered with and regulated by any financial sector regulator(s) including the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, the Insurance Regulatory and Development Authority of India, the Pension Fund Regulatory and Development Authority, or the National Housing Bank;

(b) for registration under National Pension System, it shall be:

(i) a company incorporated in India under the Companies Act, 2013, or any previous company law;

(ii) a bank; or

(iii) a non-banking finance company (with necessary certification from the Reserve Bank of India)

(c) for registration under Atal Pension Yojana, it shall either be:

(i) a bank; or

(ii) any other entity(s) registered under the relevant laws, if in the opinion of the Authority, such entity(s) can facilitate provision of old age income security;

Explanation.— For this purpose, “Bank” shall mean any entity:

(i) established under Banking Regulation Act, 1949 or Regional Rural Banks Act, 1976 or under any other relevant Act; and

(ii) registered with and regulated by RBI;

(d) have at least one branch or office in India, possessing information technology infrastructure capable of electronic connectivity with the central recordkeeping agency(s) to receive and transmit the subscribers’ funds, instructions, and pay out of funds as per the service standards or relevant guidelines issued by the Authority;

(e) minimum net worth of Rupees two crore which shall include minimum paid up equity capital of Rupees fifty lakh, as on the last day of the immediately preceding quarter, duly certified by the statutory auditor;

Explanation.— “net worth” shall be as defined under section 2(57) of the Companies Act, 2013.

Provided that this requirement shall not be applicable for:

(i) entity(s) seeking registration under Atal Pension Yojana; and

(ii) departments / boards of the Central or the State Governments;

(f) it and its key managerial personnel shall fulfil the “fit and proper person criteria” as provided under Schedule-V;

Explanation.— “key managerial personnel” shall have the same meaning as defined under section 2(51) of the Companies Act, 2013;

(g) possess a two-year track record of profitability (profit after tax) as on the last day of the immediately preceding financial year;

Provided that this condition shall not apply to:

- (i) online marketing companies distributing financial products, payment banks and small finance banks for a period of five years from the date of their registration with the concerned regulator, for such activities;
- (ii) banks proposing to conduct its activities under the Atal Pension Yojana; and
- (iii) departments / boards of Central and State governments;

Provided further that any entity that does not fulfil this criterion, may seek exemption, for just cause to be shown. The Authority may grant such exemption for reasons to be recorded in writing and may impose such conditions, as it may deem fit;

- (h) any other criteria as may be determined by the Authority through guidelines, circulars, directions and instructions.”

VIII. Regulation 6 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**6. Disclosure of Information.**- The applicant shall intimate change in any information in the application submitted to the Authority immediately, but not later than three working days of occurrence of such change.”

IX. Regulation 7 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**7. Furnishing of information and clarification.**— The Authority may for reasons to be recorded in writing, require an applicant to furnish any further information or clarification, or to remove any defects or deficiency, within the time granted. The applicant through its key managerial personnel shall, if so required, by the Authority, appear in person while considering its application.”

X. Regulation 8 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**8. Verification of information.**—(1) While processing the application, the Authority may:

- (a) verify the documents, inspect the office space, and resources including technological capabilities which the applicant is required to fulfil; and
- (b) seek report(s) from any agency which may have a bearing on the application.

(2) For the purpose of verification of information, the Authority may appoint any person, including any of its officers or an external agency.”

XI. Regulation 9 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**9. Consideration of application.**—(1) For considering the eligibility of the applicant and grant of registration to such applicant, the Authority shall take into account all such matters, which it deems relevant to the pension sector, including but not limited to the following:

- (a) whether the applicant has in the past five years been refused certificate of registration by any of the financial sector regulator(s) including Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, the Insurance Regulatory and Development Authority of India, the Pension Fund Regulatory and Development Authority, or the National Housing Bank and the reasons thereof;
- (b) whether the applicant satisfies the eligibility criteria, including fit and proper person requirements, as specified under these regulations; and
- (c) whether the grant of a certificate to the applicant is in the interest of the subscribers and for ensuring the orderly growth of pension schemes covered under the Act.

(2) An application for grant of certificate of registration-

- (a) which is not complete in all respects and does not conform to the requirements specified in these regulations;
- (b) which does not contain such additional information as is required by the Authority;
- (c) which is incorrect, false or misleading in nature or has omitted to disclose material facts;

- (d) where the applicant is not in compliance with the eligibility criteria, including fit and proper person requirements, as specified under these regulations; or
- (e) which in the opinion of the Authority is not in the interest of subscribers and for ensuring the orderly growth of pension schemes covered under the Act;

shall be rejected by the Authority for reasons to be recorded in writing.

(3) Before rejecting an application, the Authority shall give a notice to the applicant to remove the defects or deficiencies, if any, in its application within fifteen days of receipt of such notice from the Authority.

Provided that where the Authority is of the *prima facie* opinion that the registration ought not be granted, it shall communicate the reasons for forming such an opinion and give the applicant an opportunity to explain why its application should be accepted, within fifteen days of the receipt of the communication from the Authority, to enable the Authority to form a final opinion.

Provided further that where an application has been rejected on the grounds of being incorrect, false or misleading in nature or has omitted to disclose material facts, no fresh applications for grant of certificate of registration shall be considered for a period of one year from the date of such rejection.

(4) An application for grant of certificate of registration, under regulation 4, shall be disposed of by the Authority, within thirty days of:

- (a) receipt of complete information, if any from the applicant;
- (b) expiry of the time granted for submission of further information under sub-regulation (3); or
- (c) the explanation, if any, received under sub-regulation (3) from the applicant or upon expiry of the time granted for giving explanation.”

XII. Regulation 10 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**10. Procedure for grant of certificate of registration.**—(1) The Authority upon being satisfied that the applicant fulfils the eligibility conditions as specified under these regulations shall inform the applicant to submit registration fee of Rupees twenty five thousand plus applicable taxes and levies thereon within fifteen days. Upon receipt of registration fee, the Authority shall grant a certificate of registration, in the form specified in Schedule-I and send an intimation to the applicant.

Provided that an applicant proposing to conduct activities under Atal Pension Yojana shall not be required to pay any registration fee.

Provided further that where any proceeding (pertaining to eligibility criteria) is pending against the applicant or its key managerial person, before the Authority or any other regulator or court or tribunal, the Authority may grant a conditional registration, as it deems fit.

- (2) An applicant (other than applicant under Atal Pension Yojana, departments / boards of the Central or the State Governments) who has been given a certificate of registration, shall be required to submit a security deposit in the form of bank guarantee or bank fixed deposit, with proper lien marking, in favour of the Authority within thirty days or prior to commencement of activities as point of presence, whichever is earlier. Such deposit shall be equivalent to one per cent. of its net worth or Rupees five lakh, whichever is higher. Provided that the maximum security deposit shall not exceed Rupees twenty lakh.
- (3) The security deposit shall not be released to the applicant unless the prior permission of the Authority is obtained.
- (4) If the Authority is *prima facie* of the opinion, that any point of presence or pension agent engaged by it has contravened any provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, directions or instructions or any terms and conditions of registration, or it is necessary in subscribers interest to do, the Authority may forfeit and recover the amounts in the security deposit (either fully or

partly) and apply the same in the interest of the subscribers, pending any action initiated or contemplated against a point of presence.”

XIII. Regulation 11 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**11. Conditions of certificate of registration.**—(1) The certificate of registration granted by the Authority to point of presence shall be subject to the following conditions, namely:—

(a) where there is any change in status or constitution, the same shall be intimated to the Authority within seven days;

Explanation.— “Change in status or constitution” shall include the following:

(i) amalgamation, demerger, consolidation or any other kind of corporate restructuring falling within the provisions of the Companies Act, 2013 (13 of 2013) or the corresponding provision of any other law for the time being in force or any agreement or arrangement which would have the effect of such corporate restructuring;

(ii) any change in control; or

Explanation.— “control” shall mean as defined under Section 2(27) of the Companies Act, 2013

(iii) any change in its legal status;

(b) payment of the renewal fees along with taxes and levies in accordance with these regulations or instructions;

(c) adherence to the provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority;

(d) fulfilment of the eligibility criteria at all times including fit and proper person criteria. For this purpose, it shall submit an annual certificate that:-

(i) it meets the eligibility criteria; and

(ii) it complies with all the applicable laws;

Provided that any existing point of presence not satisfying eligibility criteria pertaining to profitability, may seek exemption under sub regulation (1) of regulation 14; and

(e) Submission of security deposit instrument as required under regulation 10(2).

(2) Notwithstanding the above, the Authority may impose such other conditions, as it may deem fit in the interest of subscribers and for the orderly growth of pension schemes covered under the Act.”

XIV. Regulation 12 of the principal regulations shall be deleted;

XV. Regulation 13 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**13. Period of validity of certificate of registration.**— (1) Subject to compliance with the provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority, the certificate of registration granted to a point of presence shall remain valid, unless suspended or cancelled by the Authority.

(2) Where a certificate of registration has been granted subject to conditions, the validity of such registration shall be construed as being subject to such conditions unless removed.

(3) A point of presence may, within ninety days before the expiry of every five years from the date of registration, make an application in the form determined by the Authority along with the renewal fee payable.

Provided that if the application along with renewal fee reaches the Authority, not later than one year from the date due for payment of renewal fee, late fee of Rupees five thousand per month along with applicable taxes and levies thereon for such period of delay shall be payable by the applicant to the Authority.

(4) The renewal fee shall be half-per cent. (0.5%) of the charges earned out of activities under National Pension System or other pension schemes put together, in the preceding financial year, subject to a minimum of Rupees fifteen thousand and a maximum of Rupees one lakh.

Provided that in respect of departments / boards of Central and State governments or point of presence registered under Atal Pension Yojana, this condition shall not be applicable.”

XVI. Regulation 14 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“14. Exemptions in certain cases from eligibility criteria.—(1) If any point of presence does not fulfil the eligibility criteria specified under sub-clause (g) of sub regulation (1) of regulation 5, relating to profitability, it may seek exemption from fulfilment of such eligibility criteria, for just cause to be shown. The Authority may grant such exemption for reasons to be recorded in writing and may impose such conditions, as it may deem fit.

(2) An existing point of presence as on the date of notification of this amendment, shall meet the eligibility criteria of net worth within the time permitted by the Authority for the purpose.”

XVII. Regulation 15 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“15. Duties and responsibilities of point of presence.—(1) The point of presence shall discharge duties and responsibilities in respect of the following functions in accordance with the provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority-

(a) interacting with potential subscribers:

(i) address queries regarding pension schemes covered under the Act; and

(ii) provide and display information in accordance with the provisions of the pension schemes, including information relating to application forms or any other promotion material pertaining to pension schemes;

(b) registration of subscribers:

(i) receive subscriber registration request along with Know Your Customer (KYC) records;

(ii) conduct customer due diligence procedure; and

(iii) process the request in central recordkeeping agency system or in the mode and manner directed by the Authority;

(c) processing of contribution:

(i) open and maintain a collection account for each pension scheme in the name of “Name of the PoP or its abbreviation – Collection Account – Name of pension scheme or its abbreviation – National Pension System Trust or its abbreviation” and such account shall be a non-withdrawable account with an option to transfer the funds to account of National Pension System Trust only;

Notwithstanding the above, in exceptional cases like wrong entries, unidentified entries or amount received is not intended towards contribution by subscriber, for reasons to be recorded in writing, it may be credited to any other account as may be permitted by the Authority;

(ii) receive contribution from subscriber or their employer;

(iii) upload contribution details and generate subscriber contribution file from central recordkeeping agency; and

(iv) remit contribution to the National Pension System Trust account maintained with the Trustee Bank;

(d) servicing of subscriber requests:

(i) receive, process and approve requests or instructions as specified under clause (e) of sub-regulation (1) of regulation 17 in central recordkeeping agency system or in the mode and manner determined by the Authority;

(e) redressal of subscriber grievance:

(i) receive and redress grievances in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015, and any guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority, for this purpose;

(f) processing of exits and withdrawals requests:

- (i) receive the request for withdrawal and exit from pension schemes along with stipulated documents and KYC records;
 - (ii) conduct subscriber or nominee(s) or legal heir due diligence procedure;
 - (iii) process and approve the said request in central recordkeeping agency system, as required under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 with amendments thereof and any guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority, for this purpose;
 - (g) Maintenance and transfer of documents to Central Recordkeeping Agency:
 - (i) maintain and transfer forms along with stipulated documents and KYC records to the central recordkeeping agency, in the mode and manner determined by the Authority;
 - (h) submission of compliance reports and certificates:
 - (i) submit compliance reports and certificates as laid down under circulars, guidelines, directions and instructions issued by the Authority.
- (2) In discharging the functions, duties and responsibilities under sub-regulation (1), the point of presence shall-

- (a) comply with service standards along with timeline and other requirements as determined by the Authority through circulars, guidelines, directions and instructions;
- (b) comply with circulars, guidelines, instructions issued by the Authority on KYC, Anti Money Laundering (AML) and Countering Financing of Terrorism (CFT);
- (c) ensure that customer due diligence procedure is conducted through effective use of KYC verification processes as required under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (17 of 2003) and the rules notified thereunder or any other law, besides relevant regulations, guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority in this regard;
- (d) take all measures necessary for prevention of all forms of fraud and develop and follow a fraud prevention and mitigation policy, in accordance with guidelines issued by Authority;
- (e) lay down internal controls to be followed and ensure that such controls are adequate and operating effectively; and
- (f) make provision for indemnifying the subscriber for any loss on account of fraud or negligence on the part of the point of presence or its pension agents, which has been established.

Explanation.— For the purposes of this regulation, the term internal controls means the policies and procedures adopted by the point of presence for ensuring the orderly and efficient conduct of its functions, including prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the records, and the timely preparation and submission of compliance reports.

(3) Engagement of services of Retirement Advisers-

- (a) the point of presence registered for provision of services under National Pension System may engage the services of Retirement Advisers registered with the Authority under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Advisers) Regulations, 2016.”

XVIII. Regulation 16 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**16. Charges to be collected from subscribers.**—The charges that may be collected by the point of presence from the subscriber shall be subject to the limit, mode and manner of collection, as permitted by the Authority.”

XIX. Regulation 17 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**17. Maintenance of records, audit of accounts and inspection.**— (1) The following records shall be maintained by the point of presence in respect of its activities for a period as laid down in the guidelines issued by the Authority for this purpose:

- (a) details of application(s) received from subscribers and submitted to the central recordkeeping agency for registration and Permanent Retirement Account Number data generated for all such applicant(s);
- (b) details of money received from the subscribers – in cash, by cheque, or any authorized form of remittance;
- (c) details of cash held on a daily basis;
- (d) details of subscriber-wise contribution remitted to the Trustee Bank;
- (e) details of subscriber-wise instructions such as change of point of presence, change of central recordkeeping agency, change of pension fund, change of scheme, change of nomination details, change of personal details, change of contact details, change of address, error rectification requests or any other requests permitted by the Authority, to be received, processed and sent to central recordkeeping agency; and
- (f) details of subscriber-wise exit or withdrawal or partial withdrawal requests received, processed and sent to central recordkeeping agency.

(2) A point of presence shall:

- (a) get its processes, operations and accounts in respect of pension schemes including functions assigned to pension agents, audited annually; and
- (b) submit to the Authority, an audit report as per the requirements of the Authority.”

XX. Sub-regulation (2) of regulation 19 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(2) Each point of presence shall be liable for the acts of commissions or omissions by its employees or pension agents or other persons, whose services it has obtained and indemnify the subscriber for any loss caused on account of any act of fraud or negligence, established on its part.”

XXI. Regulation 20 of the principal regulations shall be deleted;

XXII. Regulation 21 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“21. Appointment of Compliance officer, Designated Director and Principal Officer:

- (1) The point of presence shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring compliance of the provisions of Act, rules, regulations, guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority including redressal of subscriber grievances.
- (2) The compliance officer shall immediately and independently report any deviation or non-compliance observed by such officer, to the Authority.
- (3) The point of presence shall appoint Designated Director and Principal Officer in compliance of Prevention of Money Laundering Act, 2002 (17 of 2003) and the rules made thereunder.
- (4) Any change in respect of officers appointed under sub-regulation (1) and (3) shall be informed to the Authority immediately, but not later than three working days.”

XXIII. Regulation 22 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“22. Code of Conduct— Point of presence shall adhere to the code of conduct as specified in Schedule-II at all times and ensure that pension agents also comply with the same.”

XXIV. Regulation 23 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“23. Inspection and audit.- (1) The Authority shall inspect point of presence at regular intervals as it deems fit.

Notwithstanding the above, it may at any time, as it deems fit, undertake, directly or appoint an auditor or through its authorized representative conduct an inspection or audit of the books, accounts, records including the call records and electronic records and documents of a point of presence for the purposes specified under this regulation.

(2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may include:

- (a) ensuring that the books of account, records including electronic records and documents are being maintained in the manner required under these regulations;

- (b) ascertaining whether adequate internal control systems, procedures and safeguards have been established and are being followed by the point of presence;
- (c) ascertaining whether the provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, instructions and directions issued by the Authority are being complied with;
- (d) inquiring into the complaints received from subscribers, nodal offices, intermediaries, corporates or any other person on any matter having a bearing on the activities of the point of presence; and
- (e) inquiring *suo motu* into such matters as may be deemed fit in the interest of subscribers.”

XXV. Sub-regulation (2) of regulation 25 of the principal regulations shall be substituted as under:

“(2) The point of presence shall allow the Authority or its authorized representative or auditor to have a reasonable access to the premises occupied by it or by any other person on its behalf and also extend reasonable facility for examining any books, records, documents and computer data in the possession of the point of presence or pension agents or such other person and also provide copies of documents or other materials which in the opinion of the Authority or its authorized representative or auditor, are relevant for the purpose of the inspection or audit.”

XXVI. In regulation 26 of the principal regulations after sub-regulation (2), a new sub-regulation (3) shall be inserted:

“(3) The report submitted by the authorized person or any documents or information so collected by such person, during the course of inspection or audit, would be admissible in any investigation or inquiry or any other proceedings before the Authority.”

XXVII. Regulation 29 of the principal regulations shall be substituted as under:

“**29. Cancellation or suspension of certificate of registration.**—(1) Where a point of presence:

- (a) fails to comply with any conditions of the certificate of registration;
- (b) contravenes the provisions of the Act, the rules, regulations, guidelines, circulars, instructions and directions issued thereunder;
- (c) indulges in unfair trade practices or fraudulent practices or conducts its business in a manner prejudicial to the orderly growth of pension schemes covered under the Act, or that of the subscribers;
- (d) fails to furnish any information as required by the Authority relating to its point of presence activity;
- (e) does not submit periodical returns as required by the Authority;
- (f) does not co-operate in any inquiry conducted by the Authority;
- (g) fails in the periodic review of its performance in terms of number of new subscriber registrations done by the point of presence in relation to the business plan submitted at the time of registration or against any other uniform criteria applicable to all the point of presence;
- (h) commits any acts of defaults as mentioned under section 28 of the Act;
- (i) goes into liquidation or is adjudged as insolvent;
- (j) has its business transferred to or amalgamated with another point of presence without the prior approval of the Authority;
- (k) fails to pay the fee payable along with applicable taxes and levies thereon;
- (l) ceases to carry on activity or voluntarily applies to surrender the certificate of registration granted by the Authority;
- (m) fails to observe or perform any representation, warranty or undertaking given by it or fails to correct any breach or failure within the time provided by the Authority to do so;
- (n) submits to the Authority a false statement or information which has a material effect on the rights, obligations or interests of the Authority or the subscribers or any intermediary;

(o) undergoes a change in the ownership, management or key managerial personnel which in the opinion of the Authority adversely affects the interest of the subscribers;

(p) fails to submit valid security deposit; or

(q) fails to comply with any directions issued by the Authority in the interest of the subscribers or the orderly growth of pension schemes covered under the Act;

the Authority may, by order, without prejudice to any other action, suspend or cancel the certificate of registration, or pass any order or direction, as may be deemed appropriate.”

XXVIII. Regulation 30 of the principal regulations shall be substituted as under:

“**30. Surrender of certificate of registration.**— (1) A point of presence may surrender its certificate of registration by making a request to the Authority.

(2) For consideration of such request, the Authority may require the point of presence to satisfy the following—

(a) arrangements made by it for transfer of records, funds or securities of the subscribers, at its own cost and expense and ensure continuity of service to subscribers;

(b) redressal of subscriber grievances;

(c) rectifying the defaults and pending actions, if any; and

(d) any other measures to be taken in the interest of the subscribers.

(3) While considering the request for surrender, the Authority may impose such conditions upon the point of presence as it deems fit for the protection of interest of the subscribers.

(4) No surrender shall be permitted unless the Authority is satisfied that the point of presence has complied with or has taken steps to comply with the requirements under sub-regulation (2) and other conditions, if any, under sub-regulation (3).

(5) No request for surrender shall be entertained from a point of presence in respect of which any action for default has been initiated or is contemplated by the Authority.

(6) Where the Authority has accepted the request for surrender, it shall cancel the certificate of registration granted to the point of presence and inform the entity within seven working days and place such information on its website and also direct the entity to place the information on its website and disseminate the information, in such manner, as may be required.”

XXIX. Regulation 31 of the principal regulations shall be substituted as under:

“**31. Effect of suspension, cancellation or surrender of certificate.**—(1) On and from the date of suspension of the certificate of registration, the point of presence shall, where directed-

(a) not undertake any additional assignment or collect any new contributions or information from the subscriber or prospective subscriber. During the period of such suspension, it shall cease to carry on any activity in respect of which the certificate of registration has been granted, to the extent directed by the Authority;

(b) cease to transact fresh business under the National Pension System or other pension schemes, as the case may be;

(c) make provisions as regards liabilities incurred or assumed by it;

(d) take such action in respect of the assets, records, documents or information that may be in the custody or control of the point of presence, within the time limit and in the manner as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Authority;

(e) transfer at its own cost the assets, records, documents or information that are in its custody or control to another point of presence in the form and manner as may be directed by the Authority;

(f) at its cost and expense, provide all necessary support to ensure smooth transfer of all records of subscribers, and make such public announcement or disclosure as may be conducive to subscriber’s interest, regarding such transfer of assets. It shall also ensure that the transfer of all the relevant

documents, record or information is made in accordance with the directions issued by the Authority; (g) the transfer of assets shall be undertaken in accordance with the guidelines or instructions that may be issued by the Authority; and

(h) the point of presence shall be subject to the directions of the Authority, until all such transfers or actions are completed or until, the certificate of registration remains suspended.

(2) On and from the date of cancellation of the certificate of registration, the concerned point of presence shall-

(a) cease to carry on and wind up its affairs *qua* the activities in respect of which registration has been granted;

(b) return the certificate of registration so cancelled to the Authority and inform the same to such other stakeholders, as may be directed by the Authority, disseminate the information on its website and in such other manner as may be directed;

(c) carry out any other directions within the time limits given by the Authority, and report compliance of the same;

(d) make provisions as regards liability incurred or assumed by it; and

(e) take such other action including the action relating to any records or documents and assets of the subscribers that may be in the custody or control of such point of presence, within the time limit and in the manner, as may be required.”

XXX. Regulation 41 of the principal regulations shall be substituted as under:

“**41. Compensation payable to Subscribers.**— In the event of the point of presence failing to adhere to the service level standards or any guidelines issued by the Authority, including timelines for provision of services to subscribers and any loss or inconvenience caused to the subscriber thereby, such point of presence shall be liable to compensate the subscriber, in accordance with guidelines issued by the Authority, in this regard.

Provided that there shall be no requirement of any loss or inconvenience to be proved on the part of the subscriber.”

Regulation 42 of the principal regulations shall be substituted as under:

“**42. Reports and disclosures.**— The point of presence shall submit periodic reports of its activities including the business transacted by it, matters relating to KYC and compliances as are required under other laws including Prevention of Money Laundering Act, 2002, in accordance with the instructions of the Authority.”

XXXII. Regulation 43 of the principal regulations shall be substituted as under:

“**43. Confidentiality.**— The point of presence and pension agent shall maintain absolute confidentiality with respect to all records, data and information received by it under any pension scheme, including the National Pension System as laid down in Schedule-III. The point of presence and pension agent shall not, without the prior permission of Authority, produce or share such data or information as evidence, or for any other purpose, except as required by the due process of law.”

XXXIII. Regulation 44 of the principal regulations shall be substituted as under:

“**44. Engagement of services of pension agents.**—(1) A point of presence shall not transfer or assign any of its functions.

Notwithstanding the above, a point of presence may engage pension agents for a limited function of distribution of pension schemes as specified in these regulations and perform its activities in accordance with Schedule-IV.

(2) A point of presence shall be liable for any acts of omission or commission, by the pension agents in discharge of its functions, arising out of such engagement, including compliance with KYC and AML norms prescribed under Prevention of Money Laundering Act, 2002, monitoring and supervising their activities, imparting training on pension schemes to them.

(3) The charges payable to pension agent by the point of presence would be as per the contractual agreement between them for engagement of activities and subject to the condition that the subscriber should not be charged beyond the limit permitted by Authority, for the particular service.

(4) The general activities of pension agents shall include the following –

(a) provide subscriber registration form(s) to the potential subscriber for registration in pension schemes;

(b) receive subscriber registration form, subsequent service requests (excluding exit and withdrawal request) in such form as determined by the Authority, duly filled and signed by the subscriber along with the necessary documentation and ensure they are complete in all respects;

(c) ensure that prescribed KYC records for various services are collected in accordance with the provisions of Prevention of Money Laundering Act, 2002 and the rules framed thereunder. Notwithstanding the same, ensuring compliance with KYC, AML and CFT norms shall continue to be the entire responsibility of point of presence;

(d) ensure that contribution is collected only by means of Cheque or Demand Draft or through electronic mode in favour of the point of presence to which they are associated as per the laid down nomenclature of collection account of the said point of presence;

(e) ensure that service standards laid down for point of presence for various operational activities are adhered to; and

(f) adherence, in coordination with the point of presence, to the provisions of the Act, rules and regulations including provisions of regulation 22, regulation 43 and this regulation, in discharge of its functions, besides any guidelines, circulars, instructions and directions issued by the Authority.”

XXXIV. Regulation 45 of the principal regulations shall be substituted as under:

“**45. Power of Authority to issue clarifications.**— In order to remove any difficulties in the application of the provisions of these regulations or interpretation of these regulations, the Authority shall have the power to issue any directions or clarifications in the form of any circulars or guidelines, which shall be binding on the point of presence or any person connected with it.”

XXXV. Regulation 46 shall be substituted as under:

“**46. Power of Authority to issue directions.**—(1) Without prejudice to any order under Chapter V of these regulations, the Authority may, in the interest of the subscribers or for the purpose of securing the proper management of point of presence, issue necessary directions:

(a) directing the point of presence to refund any contributions or money collected from the subscribers under National Pension System or other pension scheme covered under the Act with or without interest;

(b) any other direction which the Authority may deem fit and proper in the circumstances of the case including suspension of its operations:

Provided that before issuing any directions, the Authority shall give to the persons concerned, a reasonable opportunity of being heard:

Provided further that if the circumstances warrant that any interim direction is required to be passed immediately, the Authority may give to the person(s) concerned, a reasonable opportunity of being heard after passing the direction, without any undue delay.”

XXXVI. Schedule-I of the principal regulations shall be substituted as follows:

“SCHEDULE-I

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018

(See regulations 10, 11, 13)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

REGISTRATION No.....

Certification of Registration as point of presence for _____ (NPS and/or APY and/or other pension schemes)

a. In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of Section 27 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013, the Authority hereby grants this Certificate of Registration to to act as a point of presence to transact in (Name of the pension scheme(s)) as per the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018:

b. The registration code of the point of presence (PoP) is.....

The Certificate of Registration granted shall remain valid unless suspended or cancelled by the Authority and subject to adherence to the terms and conditions provided under the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013) and Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of presence) Regulations, 2018, and any amendments thereof.

Date:

Place: New Delhi

By Order

On Behalf of

Pension Fund Regulatory and Development Authority”

XXXVII. Schedule-II of the principal regulations shall be substituted as under:

“SCHEDULE-II

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018

(See regulation 22)

CODE OF CONDUCT

(1) Point of presence and pension agents shall avoid conflict of interest in managing National Pension System or any other pension scheme covered under the Act and keep the interest of subscribers’ paramount in all matters. In case of any conflict between the interests of a subscriber and that of the point of presence or its representative, precedence shall be given to the subscribers’ interests.

(2) Subscribers shall be provided with updated information on pension schemes through fair disclosure mechanism as may be instructed by the Authority to enable informed decision making by the subscriber:

(a) sufficiently before a subscriber opens an account, allow such subscriber reasonable time to understand the information;

(b) dissemination on a continuing basis through its website, and within a reasonable time-period from the occurrence of any material change or at reasonable periodic intervals, as applicable; and

(c) in writing and in a manner that is likely to be understood by the subscriber.

(3) The point of presence and pension agents shall ensure that they have not given any undue or unfair advantage to any associates or dealt with any of the associates in any manner detrimental to interest of the subscribers.

(4) The point of presence and pension agents, shall maintain high standards of integrity and fairness in all their dealings and in the conduct of its activities. They shall render at all times high standards of service, exercise due diligence which implies a standard of skill and care that is commensurate with honest market practice, good faith, profile of subscriber, the extent of dependence of the subscriber on the point of presence and exercise independent professional judgment.

(5) The point of presence and pension agents, shall not make any exaggerated statement, whether oral or written, either about its qualifications or capability to render services or its achievements.

(6) The point of presence and pension agents are prohibited from indulging in unfair conduct, i.e., an act or omission that significantly impairs, or is likely to significantly impair, the ability of a subscriber to make an

informed transactional decision and includes conduct that is misleading or abusive, while dealing with subscribers.

(7) The point of presence and pension agents, shall not collect any charge other than as determined by the Authority from time to time.

(8) The point of presence and pension agents, shall establish adequate procedures and facilities to ensure that its records are protected against loss or destruction and due arrangements have been made for maintaining back up facilities.”

XXXVIII. Schedule-III of the principal regulations shall be substituted as under:

“SCHEDULE-III

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018

(See regulation 43)

Protection of personal information by point of presence

(1) Personal information is any information that relates to a subscriber or allows a subscriber’s identity to be inferred, directly or indirectly, and includes:

- (a) Name and contact information;
- (b) biometric information, in case of individuals;
- (c) information relating to transactions in or holdings of financial products;
- (d) information relating to the use of financial services; or
- (e) such other information as may be specified by regulations.

(2) A point of presence either by itself or through its agent, shall –

- (a) not collect personal information relating to a subscriber in excess of what is required for the provision of pension schemes;
- (b) maintain the confidentiality of personal information relating to subscribers and not disclose it to a third party, except where required under law;
- (c) make best efforts to ensure that any personal information relating to a subscriber that it holds is accurate, up to date and complete;
- (d) ensure that subscribers can obtain reasonable access to their personal information, subject to any exceptions that the Authority may provide; and
- (e) allow subscribers an effective opportunity to seek modifications to their personal information to ensure that the personal information held by the point of presence is accurate, up to date and complete.

(3) A point of presence may disclose personal information relating to a subscriber to a third party if –

- (a) it has obtained prior written consent of the subscriber for the disclosure, after giving the subscriber an effective opportunity to refuse consent;
- (b) the subscriber has allowed the disclosure to be made;
- (c) the Authority has approved or ordered the disclosure, and unless prohibited by the relevant law or rules or regulations, the subscriber is given an opportunity to represent under such law or rules or regulations against such disclosure; or
- (d) the disclosure is made to protect against or prevent actual or potential fraud, unauthorised transactions or claims, if the point of presence arranges with the third party to maintain the confidentiality of the personal information in the manner required under this regulation.”

XXXIX. After Schedule-III in principal regulations, a new Schedule-IV shall be inserted as follows:

“SCHEDULE-IV

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018

(See regulation 44)

Engaging services of Pension Agent(s)

(1) Point of presence performing activities under NPS or APY:

- (a) may utilise the services of pension agent for distribution of pension schemes;
- (b) the engagement shall be in the nature of principal - agent relationship. Pension agent shall be associated with only one point of presence at any point of time for distribution of each pension scheme;
- (c) shall formulate an internal policy for engaging pension agent(s) with the prior approval of its Board. Due diligence shall be carried out by point of presence prior to the engagement. The due diligence exercise may, *inter alia*, cover aspects such as:
 - (i) integrity, honesty and ethical behaviour;
 - (ii) reputation/market standing;
 - (iii) financial soundness;
 - (iv) management and corporate governance;
 - (v) prior experience of selling financial products;
 - (vi) complete business plan of the agent;
 - (vii) risk management framework; and
 - (viii) ability to implement technology solutions in rendering financial services;
- (d) shall closely coordinate and align its activities with the facilitation received from its pension agent, such that there is no deviation from activities under pension schemes and they are in compliance with the provisions of the Act, the rules, regulations guidelines, circulars and instructions issued by the Authority;
- (e) shall periodically review the performance of pension agent(s) and may cancel its engagement with the pension agent based upon such a review in terms of number of new pension accounts opened, services rendered to the subscribers or for any other reason;
- (f) shall ensure that the flow of subscriber information and records from pension agents to central recordkeeping agency shall only be through the associated point of presence and it shall be the responsibility of Point of Presence to maintain all the documents and records of subscribers sourced through them;
- (g) shall maintain details of pension agents containing name, contact number, unique identity number, address, scheme distributed etc. and also be placed on the website of the point of presence;
- (h) shall make available the records or documents in respect of agreements, due-diligence, board approved policy and list of pension agents at the time of audit or inspection.

(2) Erstwhile point of presence sub-entity – From the date of notification of these amendments the sub-entity (PoP-SE) earlier registered with the Authority shall have the option to act as pension agents upon complying with the conditions specified under these regulations, within a period of ninety days. The point of presence shall initiate surrender of the Certificate of Registration of associated point of presence sub-entities to the Authority for cancellation of the registration.

(3) The point of presence sub-entity(s) may continue to be associated with a point of presence, as a pension agent by executing an agreement, as mentioned above and be compliant of the Act, rules and regulations, notified thereunder.

(4) Such point of presence sub-entity(s) who do not want to continue as pension agents shall forthwith cease their activity and surrender the registration certificate to the Authority through the associated point of presence. The point of presence with whom such point of presence sub-entity is associated will take all steps to protect the interest of subscribers and ensure continuity of services.

(5) Notwithstanding the above, upon expiry of ninety days from the notification of these amendments to the regulations, in respect of such point of presence sub-entity(s) whose certificate of registration has not been received in the Authority, shall be deemed to have been cancelled and be of no effect.

(6) Notwithstanding such cancellation of registration, the liability of the point of presence sub-entity and associated point of presence, shall continue in respect of activities performed by them during the term of its registration.

- (7) The point of presence shall give a public notice regarding the surrender of the certificate of registration by point of presence sub-entities associated with it and whether it is working as a pension agent or not.
- (8) With respect to point of presence providing NPS-Lite services, the services of banking correspondents for facilitating the distribution of NPS Lite as facilitators may be utilized.”

XL. After Schedule-IV in principal regulations, a new Schedule-V shall be inserted as follows:

“SCHEDULE-V

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018

(See regulation 5(1)(f))

Fit and Proper Person Criteria

(1) For the purpose of determining as to whether any person is ‘fit and proper person’, the Authority may take into account any criteria as it deems fit, including but not limited to the following:

PART (A)

- (a) financial integrity,
- (b) absence of convictions or civil liabilities,
- (c) competence,
- (d) good reputation and character,
- (e) efficiency and honesty,
- (f) financial solvency and net worth

PART (B)

A person shall not be considered as a " fit and proper person" if any of the following disqualifications are incurred:

- (i) criminal complaint or information under section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) has been filed against such person by the Authority and which is pending;
- (ii) charge sheet has been filed against such person by any enforcement agency in matters concerning economic offences and is pending;
- (iii) an order of restraint, prohibition or debarment has been passed against such person by the Authority or any other regulatory authority or enforcement agency in any matter concerning securities laws or financial markets and such order is in force;
- (iv) recovery proceedings have been initiated by the Authority against such person and are pending;
- (v) an order of conviction has been passed against such person by a court for any offence involving moral turpitude or involving economic offences or fraud;
- (vi) any winding up proceedings have been initiated or an order for winding up has been passed against such person;
- (vii) such person has been declared insolvent and not discharged;
- (viii) such person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;
- (ix) such person has been categorized as a wilful defaulter;
- (x) such person has been declared a fugitive economic offender; or
- (xi) any other disqualification as may be determined by the Authority.

(2) Where a person has been declared as not fit and proper by an order of the Authority, such a person shall not be eligible to apply for any registration during the period provided in the said order or for a period of five years from the date of effect of the order, if no such period is provided in the order.

(3) In the opinion of the Authority, where the point of presence or any its key managerial personnel, at any point of time ceases to satisfy the criteria under PART - A of clause (1) or incurs any disqualification or disability under PART – B of clause (1), its certificate of registration is liable to be suspended or cancelled, in accordance with the provision of these regulations.

Provided that the point of presence shall remove its key managerial person, ceasing to satisfy the criteria, under clause (1) within thirty days, from such cessation and inform the Authority of the action taken.”

Dr. DEEPAK MOHANTY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./683/2023-24]

Note: The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018 were published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/3, on the 25th June, 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 237, and were subsequently amended by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) (Amendment) Regulations, 2021 published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/3, on the 14th June, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 238.